License

Prelims

मार्गदर्शिका

राजनीति–विज्ञान

गुणात्मक, रूचिकर एवं क्रियात्मक अध्ययन मार्गदर्शिका

(राजनीति–विज्ञान प्रवक्ताओं हेतु)

2016-17

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

प्रथम-मार्गदर्शिका

राजनीति-विज्ञान

राष्ट्रवाद एवं विकास

मुख्य सलाहकार

आई.ए.एस. शिक्षा सचिव, दिल्ली सरकार

चेयरपर्सन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली

मार्ग दर्शन

श्रीमती अनिता सेतिया

निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

डॉ. प्रतिभा शर्मा

संयुक्त निदेशक एवं राज्य शिक्षक समन्वयक एस.सी.ई.आर.टी.

शैक्षिक समन्वयक

डॉ. नीलम

वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट राजेन्द्र नगर

डॉ. पवन कुमार

वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट केशव कुमार

लेखन समूह

डॉ. नीलम	डाइट राजेन्द्र नगर
डॉ. पवन कुमार	डाइट केशव पुरम
श्रीमान मदन साहनी	सी.बी.एस.ई. विषय विशेषज्ञ
डॉ. भगवती प्रसाद ध्यानी	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान श्याम किशोर गुप्ता	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान तपराज दत्त	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान रमेश	रावल कॉलेज ऑफ एजुकेशन
मोहम्मद नासिर	शिक्षा निदेशालय
श्रीमती ऊषा किरन	शिक्षा निदेशालय
श्रीमान अरुण कुमार	एस.सी.ई.आर.टी.
श्रीमान राजीव रंजन	एस.सी.ई.आर.टी.

वेटिड एवं सम्पादन

श्रीमान मदन साहनी

डॉ. भगवती प्रसाद ध्यानी

प्रकाशन प्रभारी

सपना यादव

प्रकाशन समूह

श्री नवीन कुमार, राधा एवं जय भगवान

प्रकाशक : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली

टंकण : एजूकेशनल स्टोर्स, एस-5, बुलन्दशहर रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, साईट-I, गाजियाबाद (उ.प्र.)

विषय-सूची

1.	राष्ट्रवाद	40
2.	राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ	47
3.	विकास (DEVELOPMENT)	55
4.	नियोजित विकास की राजनीति	61
5.	सामाजिक न्याय	67
6.	जन आन्दोलनों का उदय	75
7.	पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन	82

आमुख-1

21 वीं सदी में सरकार का मुख्य ध्यान आम आदमी को सशक्त करते हुए जीवन के बुनियादी कौशलों को विकसित करना है ताकि भारत के लोकतंत्र को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र भविष्य के आने वाले नागरिक है अत: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे न केवल अच्छे अंक प्राप्त करें बल्कि वे जिम्मेदार व उत्पादित नागरिक बन सके।

प्रस्तुत सहायक पाठ्य सामग्री शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के राजनीति विज्ञान के प्रवक्ताओं हेतु और तैयार की गयी है जिसका उद्देश्य उनकी शैक्षणिक क्षमताओं का विस्तार करना है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद तथा मण्डलीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा समय-समय पर तैयार की गयी शिक्षक संदर्शिकाएं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रयास है। इन शिक्षक संदर्शिका का उद्देश्य शिक्षण अधिगम को अधिक अंत: क्रियात्मक बनाना है जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा 2005 में रेखाकिंत है।

मैं इन विषय विशेषज्ञों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। साथ ही मैं संदर्शिका लेखन में सम्मिलित संयोजकों, लेखक समूह व संपादन मंडल के साथ-साथ सभी राज्य शैक्षिक व अनुसंधान परिषद तथा मंडलीय शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदाधिकारियों व प्रकाशन विभाग के अमूल्य योगदान की सराहना करती हूँ।

यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत संदर्शिका अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी आपके सुझाव एवं विचार आंमत्रित है।

–अनिता सेतिया

निदेशक

आमुख-2

प्रस्तुत सहायक पाठ्यसामग्री को राजनीति-विज्ञान की अवधारणा के अनुसार संबंद्ध करने का प्रयास किया गया है। कक्षा ग्यारहवीं और बाहरवीं के विभिन्न संबंधित अध्यायों को इस माड्यूल में मिश्रित रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों कक्षाओं की राजनीति विज्ञान की सामग्री को 6 माड्यूल्स के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त किया गया है:-

1. प्रथम माड्यूल→ राष्ट्रवाद एवं विकास
2. द्वितीय माड्यूल→ संविधान का दर्शन एवं व्यवहार
3. तृतीय माड्यूल→ राजनीतिक सिद्धाँत व अवधारणाएँ
4. चतुर्थ माड्यूल→ समकालीन विश्व संगठन एवं भारत
5. पंचम माड्यूल→ भारतीय शासन एवं राजनीति
6. षष्टम् माड्यूल→ शीतयुद्धोतर विश्व राजनीति

उपरोक्त माड्यूल्स के अतंर्गत अवधारणाओं को इस रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जिससे एक समझ बने न कि अवधारणाएँ केवल ज्ञान, तथ्यों एवं सूचनाओं तक ही सीमित रह जाए। साथ ही प्रत्येक प्रकरण में अभ्यास व क्रियाकलापों को रोचक बनाते हुए इस तरह संरचित किए गए है जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें। प्रत्येक प्रकरण के अंतर्गत संवर्धित मूल्यों की भी बात की गयी है जो कि संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित है।

माड्यूल निर्माण में जो समूह कार्य के लिए बनाया गया उन्हें लंबा शिक्षण अनुभव है।

माड्यूल निर्माण समिति के सदस्यों की शैक्षिक विशेषज्ञता और उनके द्वारा दिए गए अमूल्य समय और इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ/करता हूँ।

–डॉ. नीलम

डाइट राजेन्द्र नगर

डॉ. पवन कुमार

डाइट केशव पुरम्

POLITICAL SCIENCE (028)
Class - XI (2016-17)

One Paper | Marks: 100
Time: 3 hrs.

Units		Periods: 220	Marks: 100
Part A: Indian Constitution at work			
1	Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution	17	12
2	Rights in the Indian Constitution	16	
3	Election and Representation	11	10
4	The Executive	11	
5	The Legislature	11	10
6	The Judiciary	11	
7	Federalism	11	10
8	Local Governments	11	
9	Constitution as a living document	11	8
	Total	**110**	**50**
Part B: Political Theory			
10	Political Theory : An Introduction	10	10
11	Freedom	11	
12	Equality	11	10
13	Social Justice	12	
14	Rights	11	10
15	Citizenship	11	
16	Nationalism	11	10
17	Secularism	11	
18	Peace	1 I	10
19	Development	11	
	Total	**110**	**50**

COURSE CONTENT

Part A: Indian Constitution at Work

1. **Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution** **17 Periods**

   Constitution: Why and How, The making of the Constitution, the Constituent Assembly, Procedural achievements and Philosophy of the Constitution.

2. **Rights in the Indian Constitution** **16 Periods**

The importance of Rights, Fundamental Rights in the Indian Constitution, Directive Principles of State Policy, Relationship between Fundamental Rights and Directive Principles

3. **Election and Representation** **11 Periods**

Elections and Democracy, Election System in India, Reservation of Constituencies, Free and Fair Elections, Electoral Reforms

4. **Legislature** **11 Periods**

Why do we need a Parliament? Two Houses of Parliament. Functions and Power of the Parliament, Legislative functions, control over Executive. Parliamentary committees. Self-regulation.

5. **Executive** **11 Periods**

What is an Executive? Different Types of Executive. Parliamentary Executive in India, Prime 'Minister and Council of Ministers. Permanent Executive: Bureaucracy.

6. **Judiciary** **11 Periods**

Why do we need an Independent Judiciary? Structure of the Judiciary, Judicial Activism, Judiciary and Rights, Judiciary and Parliament.

7. **Federalism** **11 Periods**

What is Federalism? Federalism in the Indian Constitution, Federalism with a strong Central Government, conflicts in India's federal system, Special Provisions.

8. **Local Governments** **11 Periods**

Why do we need Local Governments? Growth of Local Government in India, 73rd and 74th Amendments, implementation of 73rd and 74th Amendments.

9. **Constitution as a Living Document** **11 Periods**

Are Constitutions static? The procedure to amend the Constitution. Why have there been so many amendments? Basic Structure and Evolution of the Constitution. Constitution as a Living Document.

Part B: Political Theory

10. **Political Theory: An Introduction** **10 Periods**

What is Politics? What do we study in Political Theory? Putting Political Theory to practice. Why should we study Political Theory?

11. **Freedom** **11 Periods**

The Ideal of Freedom. What is Freedom? Why do we need constraints? Harm principle. Negative and Positive Liberty.

12. **Equality** **11 Periods**

Significance of Equality. What is Equality? Various dimensions of Equality. How can we promote Equality?

13. **Social Justice** **12 Periods**

What is Justice? Just Distribution. Justice as fairness. Pursuing Social Justice.

14. **Rights** **11 Periods**

What are Rights? Where do Rights come from? Legal Rights and the State. Kinds of Rights. Rights and Responsibilities.

15. **Citizenship** **11 Periods**

What is citizenship? Citizen and Nation, Universal Citizenship, Global Citizenship

16. **Nationalism** **11 Periods**

Nations and Nationalism, National Self-determination, Nationalism and Pluralism

17. **Secularism** **11 Periods**

What is Secularism? What is Secular State? The Western and the Indian approaches to Secularism. Criticisms and Rationale of Indian Secularism.

18. **Peace** **11 Periods**

What is Peace? Can violence ever promote peace? Peace and the State. Different Approaches to the pursuit of peace. Contemporary challenges to peace.

19. **Development** **11 Periods**

What is development? Dominant, development Model and alternative conceptions of development.

Prescribed Books:

1. Indian Constitution at work, Class XI, Published by NCERT
2. Political Theory, Class XI, Published by NCERT

Note: The above textbooks are also available in Hindi and Urdu versions.

QUESTION PAPER DESIGN 2016-17

POLITICAL SCIENCE **Code No. 028** **CLASS-XII**

Time: 3 Hours **Max. Marks: 100**

S. No	Typology of Questions	Learning Outcomes & Testing Skills	Very Short Answer (1 Mark)	Very Short Answer (2 Marks)	Short Answer (4 Marks)	Long Answer I (5 Marks) based on Passages	Map Question Picture based inter -pretation (5 Marks)	Long Answer II (6 Marks)	Marks	% weig htage
1	Remembering- (Knowledge based Simple recall questions, to know specific- facts, terms, concepts, principles, or theories; Identify, define, or recite, information)			1	2			2	22	22%
2	Understanding- (Comprehension -to be familiar with meaning and to understand conceptually, interpret, compare, contrast, explain, paraphrase information)		2 .		2	1		1	21	21%
3	Application (Use abstract information in concrete situation, to apply knowledge to new situations; Use given content to interpret a situation, provide an example, or solve a problem)	• Reasoning • Analytical Skills • Critical thinking	1 .	1		1 -	1	2	25	25%
4	**High Order Thinking Skills** (Analysis fit Synthesis-Classify, compare, contrast, or differentiate between different pieces of information; Organize and/or integrate unique pieces of information from a variety of sources) (includes Map interpretation)		1	2	1	1		1	20	20%
5	Evaluation - (Appraise, judge, and/or justify the value or worth of a decision or outcome, or to predict outcomes based on values)		1	1	1		1		12	12%
	Total		1×5=5	2×5=10	4×6=24	5×3=15	5×2=10	6×6=36	100	100%

POLITICAL SCIE7NCE (Code No. 028)

Class -XI (2016-17)

Question Paper Design

One Paper 100 Marks

Time: 3 hrs.

Units		Periods	Marks
1	Constitution Why and How and Philosophy of the Constitution	17	12
2	Rights of the Indian Constitution	16	
3	Election and Representation	11	10
4	Executive	11	
5	Legislature	11	10
6	Judiciary	11	
7	Federalism	11	10
8	Local Governments	11	
9	Constitution as a Living Document	11	08
	Total	**110**	**50**
10	Political Theory : An Introduction	10	10
11	Freedom	11	
12	Equality	11	10
13	Social Justice	12	
14	Rights	11	10
15	Citizenship	11	
16	Nationalism	11	10
17	Secularism	11	
18	Peace	11	10
19	Development	11	
	Total	**110**	**50**

3. Weightage of Difficulty Level — Percentage

Estimated difficulty level	20%
Difficult	50%
Average Easy	30%

4. Scheme of Options:

   There is internal choice for long answer questions of 6 marks.

   There are three passage - based questions of 5 marks each. No questions from plus (+) boxes.

5. In order to assess different mental abilities of learners, question paper is likely to include questions based on passages, visuals such as maps, cartoons, etc. No factual question will be asked on the information given in the plus (+) boxes in the textbooks.

POLITICAL SCIENCE (Code No. 028)

Class -XII (2016-17)

One Paper

Marks: 100

Time: 3 hrs.

Units		Periods	Marks
Part A: Contemporary World Politics			
1	Cold War Era	14	14
2	The End of bipolarity	13	
3	US Hegemony in World Politics	13	
4	Alternative centres of Power	'11	16
5	Contemporary South Asia	13	
6	International Organizations	13	10
7	Security in Contemporary World	11	
8	Environment and Natural Resources	11	10
9	Globalisation	11	
	Total	**110**	**50**
Part B: Politics in India since Independence			
10	Challenges of Nation-Building	13	
11	Era of One-party Dominance	12	16
12	Politics of Planned Development	11	
13	India's External relations	13	6
14	Challenges to the Congress System	13	12
15	Crisis of the Democratic Order	13	
16	Rise of Popular Movements	11	
17	Regional aspirations	11	16
18	Recent Developments in Indian Politics	13	
	Total	**110**	**50**

COURSE CONTENTS

Part A: Contemporary World Politics

1	**Cold War Era** Emergence of two power blocs after the second world war. Arenas of the cold war. Challenges to Bipolarity: NonAligned Movement, quest for new international economic order.India and the cold war.	14 Periods
2	**The End of Bipolarity** New entities in world politics: Russia, Balkan states and Central Asian states, Introduction of democratic politics and capitalism in post-communist regimes. India's relations with Russia and other post-communist countries.	13 Periods
3	**US Hegemony in World Politics %** Growth of unilateralism: Afghanistan, first Gulf War, response to 9/11 and attack on Iraq.Dominance and challenge to the US in economy and ideology. India's renegotiation of itsrelationshipwith the USA	13 Periods
4	**Alternative Centres of Power** Rise of China as an economic power in post-Maoera, creation and expansion of European Union, ASEAN. India's changing relations with China.	11Periods
5	**Contemporary South Asia** in the Post-Cold War EraDemocratisation in Pakistan and Nepal. Ethnic conflict in Sri Lanka, Impact of economic globalization on the region. Conflicts and efforts for peace in South Asia. India's relations with its neighbours.	13 Periods
6	**International Organizations** Restructuring and the future of the UN. India's position in the restructured UN. Rise of newinternational actors: new international economic organisations, NGOs. How democratic andaccountable are the new institutions of global governance?	13 Periods
7	**Security in Contemporary World** Traditional concerns of security and politics of disarmament. Non-traditional or human Security: global poverty, health and education. Issues of human rights and migration.	11Periods
8	**Environment and Natural Resources**Environment movement and evolution of global environmental norms. Conflicts over traditional and common property resources. Rights of indigenous people. India's stand in global environmental debates.	11 Periods
9	**Globalisation** Economic, cultural and political manifestations. Debates on the nature of consequences of globalisation. Anti-globalisation movements. India as an arena of globalization and struggle against it.	11Periods
Part B: Politics in India since Independence		
10	**Challenges of Nation-Building** Nehru's approach to nation-building; Legacy of partition: challenge of refugee' resettlement, the Kashmir problem. Organisation and reorganization of states; Political conflicts over language.	13 Periods
11	**Era of One-Party Dominance** First three general elections, nature of Congress dominance at the national level, uneven dominance at the state level, coalitional nature of Congress. Major opposition parties.	12 Peroids
12	**Politics of Planned Development** Five year plans, expansion of state sector and the rise of new economic interests. Famine and suspension of five year plans. Green revolution and its political fallouts.	11 Periods
13	**India's External Relations** Nehru's foreign policy. Sino-Indian war of 1962, Indo-Pak war of 1965 and 1971. India's .nuclear programme. Shifting alliance in world politics.	13 Periods
14	**Challenges to the Congress System** Political succession after Nehru. Non-Congressism and electoral upset of 1967, Congress split and reconstitution, Congress' victory in 1971 elections, politics of 'garibi hatao'.	13 Periods

15	**Crisis of the Democratic Order** Search for 'committed' bureaucracy and judiciary. Navnirman movement in Gujarat and the' Bihar movement. Emergency: context, constitutional and extra-constitutional dimensions, resistance to emergency. .1977 elections and the formation of Janata Party. Rise of civil liberties organisations.	13 Periods
16	**Popular Movements in India** Farmers' movements, Women's movement, Environment and Development-affected people's movements. Implementation of Mandal Commission report and its aftermath.	11Periods
17'	**Regional Aspirations** Rise of regional parties. Punjab crisis and the anti Sikh riots of 1984. The Kashmir situation. Challenges and responses in the North East.	11 Periods
18	**Recent Developments in Indian politics** Participatory upsurge in1990s. Rise of the JD and the BJP. Increasing role of regional parties and coalition politics. Coalition governments:NDA (1998 - 2004)UPA (2004 - 2014)NDA (2Q14 onwards)	13 Periods

Prescribed Books:

1. Contemporary World Politics, Class XII, Published by NCERT
2. Politics in India since Independence, Class XII, Published by NCERT

Note: The above textbooks are also available in Hindi and Urdu versions.

QUESTION PAPER DESIGN 2016-17
Code No. 028

POLITICAL SCIENCE **CLASS-XII**

Time: 3 Hours **Wax. Marks: 100**

S.No	Typology of Questions	Learning Outcomes & Testing Skills	Very Short Answer (1 Mark)	Very Short Answer (2 Marks)	Short Answer (4 Marks)	Long Answer I (5 Marks) based on Passages and Picutres	Map Question Picture based inter-pretation (5 Marks)	Long Answer II (6 Marks)	Marks age	%weight
1	Remembering- (Knowledge based Simple recall questions, to know specific facts, terms, concepts, principles, or theories; Identify, define, or recite, information)	• Reasoning • Analytical Skills • Critical thinking		1	2			2	22	22%
2	Understanding- (Comprehension -to be familiar with meaning and to understand conceptually, interpret, compare, contrast, explain, paraphrase information)		2		2	1		1	21	21%
3	Application (Use abstract information in concrete situation, to apply knowledge to new situations; Use given content to interpret a situation, provide an example, or solve a problem)		1	1		1	1	2	25	25%
4	High Order Thinking Skills (Analysis & Synthesis- Classify, compare, contrast, or differentiate between different pieces of information; Organize and/or integrate unique pieces of information from a variety ofsources) (includes Map interpretation)		1	2	1	1		1	20	20%
5	Evaluation- (Appraise, judge, and/or justify the value or worth of a decision or outcome, or to predict outcomes based on values)		1	1	1		1		12	12%
	Total		**1×5=5**	**2×5=10**	**4×6=24**	**5×3=15**	**5×2=10**	**6×6=36**	**100**	**100%**

Note: Care is to be taken to cover all chapters.

The weightage or the distribution of marks over the different dimensions paper shall be as follows:-

1. Weightage of Content

Part A: Contemporary World Politics

Units		**Marks**
1	Cold War Era	14
2	The End of Bipolarity	
3	US Hegemony in World Politics	
4	Alternative Centres of Power	16
5	Contemporary South Asia	
6	International Organizations	10
7	Security in Contemporary World	
8	Environment and Natural Resources	,0
9	Globalization	
	Total	**50**

Part B: Politics in India since Independence

Units		**Marks**
10	Challenges of Nation-Building	
11	Era of One-Party Dominance	16
12 .	Politics of Planned Development	
13	India's External Relations	6
14	Challenges to the Congress System	12
15	Crisis of the Democratic Order	
16	Rise of Popular Movements	
17	Regional Aspirations	16
18	Recent Developments in Indian Politics	
	Total	**50**

2. Weightage of Difficulty Level

Estimated difficulty level	Percentage
Difficult	20%
Average	50%
Easy	30%

3. Scheme of Options:

   There-is internal choice for long answer questions.

   Map question has choice only with another map.

   There are three passage-based or picture-based questions.

4. In order to assess different mental abilities of learners, question paper is likely to include questions based on passages, visuals such as maps, cartoons, etc. No factual question will be asked on the information given in the plus (+) boxes in the textbooks.

No. of Printed Pages : 8

Common Annual School Examination, 2015-16

Subject : Political Science

Class : XI

Time : 3 Hrs.] [M. M. : 100

General Instructions :

(i) All questions are compulsory.

(ii) Questions 1 to 5 are of one mark each. The answer to these questions should not exceed to 20 words each.

(iii) Questions 6 to 10 are of two marks each. The answer to these questions should not exceed 40 words each.

(iv) Questions 11 to 16 are of four marks each. The answer to these questions should not exceed 100 words each.

(v) Questions 17 to 19 are passage based. These are of 5 marks each.

(vi) Questions 20 to 21 are map or picture based. These questions too are of 5 marks each.

(vii) Questions 22 to 27 are of six marks each. The answer to these questions should not exceed 150 words each.

सामान्य निर्देश :

(i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ii) प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सभी प्रश्न एक-एक अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।

(iii) प्रश्न संख्या 6 से 10 तक सभी प्रश्न दो-दो अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iv) प्रश्न संख्या 11 से 16 तक सभी प्रश्न चार-चार अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।

(v) प्रश्न संख्या 17 से 19 गद्यांशों पर आधारित हैं। इनके पाँच-पाँच अंक हैं।

(vi) प्रश्न संख्या 20 से 21 मानचित्र अथवा चित्रों पर आधारित हैं। इनके अंक भी पाँच-पाँच हैं।

(vii) प्रश्न संख्या 22 से 27 दीर्घ उत्तरीय हैं। सभी प्रश्न छः-छः अंकों के हैं। इनके उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।

1. What is meant by Mandamus ?

मैंडामस शब्द का क्या अर्थ है ?

2. From which country we borrowed the power of Judicial Review ? 1

भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की धारणा कहाँ से ली गई है ?

3. What is meant by peace. 1

शान्ति से क्या तात्पर्य है ?

4. Write two political rights of a citizen ? ½) 1

नागरिक के दो राजनीतिक अधिकार लिखिए।

5. Write full form of UNDP. 1

UNDP का पूर्ण रूप लिखिए।

6. What do you understand by 'Question Hour' ? 2

'प्रश्न काल' से आप क्या समझते हैं ?

7. Explain any two jurisdictions of Supreme Court. 2

सर्वोच्च न्यायालय के कोई दो क्षेत्राधिकार स्पष्ट कीजिए।

8. Mention two features of Indian Federation. 2

भारतीय संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएँ लिखिए।

9. "Indian Constitution is a living document." Justify by writing your opinion about the statement. 2

"भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है।" अपना तर्क देते हुए इस वाक्य का औचित्य स्पष्ट कीजिए।

10. Distinguish between natural rights and fundamental rights. 2

प्राकृतिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों में प्रमुख अंतर बताइए।

11. Describe any four functions of Election Commission of India. 4

भारतीय निर्वाचन आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।

12. What are the demands raised by states in their quest for greater autonomy ? 4

ज्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या माँगें उठाई हैं ?

13. Write any four changes that have been made in the Panchayati Raj System under 73rd Constitutional Amendment. 4

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज प्रणाली में किए गए कोई चार परिवर्तन लिखिए।

14. What does it mean to give each person his/her due ? How has the meaning of 'giving each his due' changed with time ? 4

हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है ? हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला जा सकता है ?

15. Mention four differences between State and Nation. 4

राज्य और राष्ट्र में चार अन्तर बताइए।

16. 'Disarmament is necessary.' Why ? 4

'नि:शस्त्रीकरण आवश्यक है।' क्यों ?

17. Read the following passage and answer the questions based on it :

A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognise these rights. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of citizens in Constitution itself. Such a list of rights mentioned and protected by the Constitution is called the 'Bill of rights'. A bill of rights prohibits government from thus acting agains the rights of individuals and ensure a remedy in case there is violation of these rights.

From whom does a Constitution protect the rights of the individual ? The rights of a person may be threatened by another person or private organisation. In such a situation, the individual would need the protection of the government. So, it is necessary that the government is bound to protect the rights of the individual. On the other hand, the organs of the government (the legislature, executive, bureaucracy or even the judiciary) in the course of their functioning, may violate the rights of the person.

(a) How many fundamental rights are given to Indian citizen in the Constitution of India ? 1

(b) In case of violation of the fundamental rights of an individual, which fundamental right ensures remedy ? 1

(c) From whom does the Constitution protect the rights of an individual ? 3

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए और इसके आधार पर पूछे प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

प्रजातंत्र में सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन-कौन-से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को 'अधिकारों का घोषणा-पत्र' कहते हैं। अत: अधिकारों का घोषणा-पत्र

सरकार को नागरिकों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग (विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका) अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं।

(a) भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?

(b) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में किस मौलिक अधिकार के अन्तर्गत उनकी रक्षा की गई है?

(c) नागरिक के अधिकारों को किससे संरक्षित किया गया है?

18. Read the following passage and answer the questions :

Positive liberty recognises that one can be free only in society (not outside it) and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the conditions in society, outside this area, as such. Of cours, negative liberty would like to expand this minimum area as much as is possible keeping in mind, however, the stability of society. Generally they both go together and support each other, but it can happen that tyrants justify their rule by invoking agruments of positive liberty.

(a) What is meant by positive liberty? 2

(b) What is the concept of negative liberty? 2

(c) According to the passage what negative statement are given against positive liberty? 1

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

सकारात्मक स्वतन्त्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतन्त्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं और इसीलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं, जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतन्त्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतन्त्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालाँकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व के ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएँ साथ-साथ चलती हैं और एक-दूसरे का समर्थन करती हैं लेकिन ऐसा भी

हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे।

(a) सकारात्मक स्वतन्त्रता से क्या अभिप्राय है?

(b) नकारात्मक स्वतन्त्रता की अवधारणा क्या है?

(c) गद्यांश के अनुसार, सकारात्मक स्वतन्त्रता के विपक्ष में क्या तर्क दिया गया है?

19. Read the following passage and answer the questions based on it :

Attainment of equality requires that all such restrictions or privileges should be brought to an end. Since many of these systems have a sanctions of law, equality requires that the government and the law of the land should stop protecting these systems of inequality. This what our constitution does. The Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, casts, sex or place of birth. Our Constitution also abolished the practice of untouchability. Most modern Constitutions and democratic governments have formally accepted the principle of equality and incorporated it as identical treatment by law to all citizens without any regard to their caste, race and religion or gender.

(a) What does the government do to establish equality? 2

(b) What is meant by 'Equality before law'? 2

(c) Which article of Constitution abolishes untouchability? 1

निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी निषेध या विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। चूँकि ऐसी बहुत-सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है इसलिए यह जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद करें। हमारे संविधान ने भी यही किया है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतान्त्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना 'सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव' के रूप में समाहित किया।

(a) समानता की स्थापना के लिए सरकारों ने क्या किया है?

(b) 'कानून के समक्ष समानता' से क्या अभिप्राय है?

(c) संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया गया है?

20. Study the cartoon given below carefully and answer the following questions :

(a) Who are the people standing in front of the stage ?

(b) Why are these people standing here and why are they looking very humble ?

(c) Which Parliamentary power does this cartoon reflect ?

उपरोक्त दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

(a) मंच के समक्ष खड़े हुए व्यक्ति कौन हैं ?

(b) ये व्यक्ति यहाँ क्यों खड़े हैं तथा इतने दीन-हीन (विनम्र) क्यों दिख रहे हैं ?

(c) कार्टून संसद की किस शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है ?

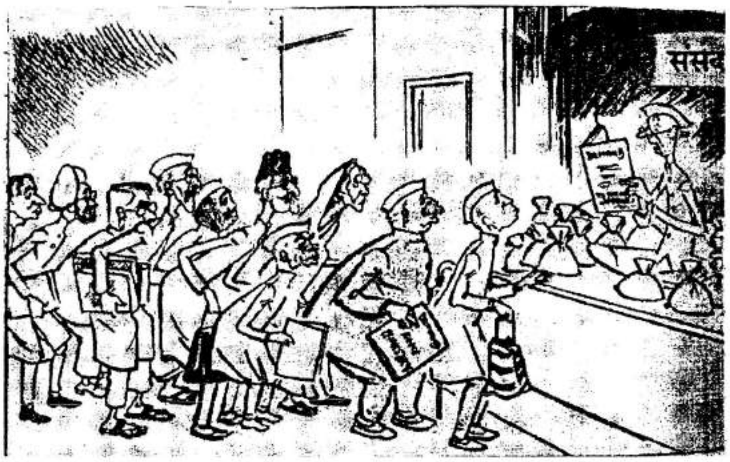

21. Study the picture given below and answer the following questions :

(a) What is meant by development ? 2

(b) What are the problems of developing countries ? 1

(c) Apart from electronic waste, which factors are responsible for damage of environment ? 2

दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

(a) विकास से आप क्या समझते हैं ?

(b) विकासशील देशों की समस्याएँ क्या हैं ?

(c) इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अतिरिक्त किन कारणों से पर्यावरण को हानि होती है ?

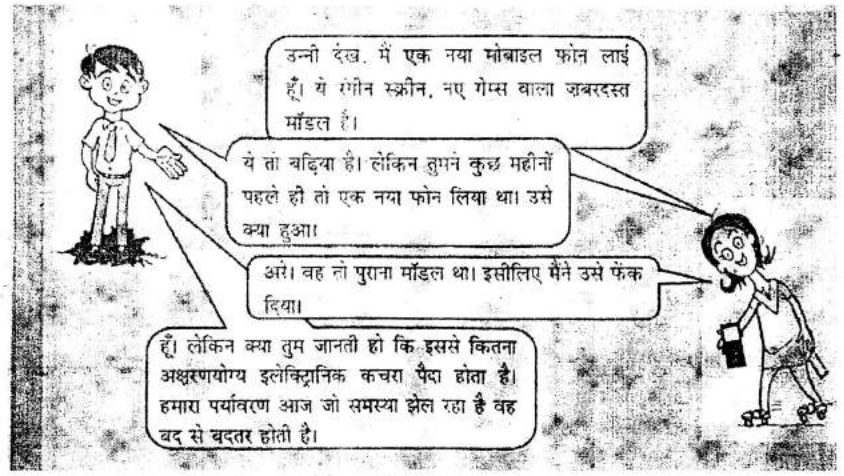

22. "India is a sovereign, secular, democratic republic." Explain. 6

"भारत प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य है।" व्याख्या कीजिए।

OR / अथवा

"The Constitution of India is a bag of borrowings." Discuss.

"भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है।" व्याख्या कीजिए।

23. Distinguish between political executive and permanent executive. 6

राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर लिखिए।

OR / अथवा

Discuss the functions and powers of the Prime Minister.

प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।

24. Discuss the amending procedure of Indian Constitution. 6

भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

OR / अथवा

"Indian Constitution is a blend of regidity and flexibility." Explain and discuss.

"भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है।" व्याख्या कीजिए।

25. Discuss the scope of Political Science. 6

राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

OR / अथवा

Discuss the importance of political theory.

राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का वर्णन कीजिए।

26. Distinguish between a citizen and an alien. 6

नागरिक और विदेशी में क्या अन्तर है ?

OR / अथवा

How can citizenship be lost. Write in detail.

नागरिकता किस प्रकार खोई जा सकती है ? विस्तारपूर्वक बताइए।

27. Is India a secular state ? Give arguments in support of your answer. 6

क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।

OR / अथवा

Discuss the factors that establish the independence of judiciary.

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को स्थापित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए।

Marking Scheme

Common Annual School Examination, 2015-16

Subject : Political Science

Class : XI **[M. M. : 100**

1. हम आदेश देते हैं। 1
2. अमरीका के संविधान से। 1
3. युद्ध की अनुपस्थिति। 1
4. मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ½ + ½
5. United Nations Development Programme. 1

   संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
6. संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन 'प्रश्नकाल' आता है जिसमें सांसदों द्वारा विभिन्न विषयों या मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों को देने होते हैं। 2
7. प्रारंभिक, अपीलीय, सलाहकारी, मौलिक अधिकारों का रक्षक, न्यायिक पुर्ननिरीक्षण। (किन्हीं दो का विस्तार) 1 + 1
8. (i) भारतीय संविधान लिखित व कठोर है। 1 + 1

   (ii) केन्द्र व राज्य की शक्तियों का बटंवारा संविधान द्वारा किया गया है।

   (iii) सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। (अथवा अन्य कोई भी विशेषता)
9. समय, परिस्थितियों व आवश्यकताओं के साथ परिवर्तनशील है, गतिशील है, या अन्य कोई तर्क। 2
10. (i) मौलिक अधिकार देश के संविधान में होते हैं प्राकृतिक अधिकार नहीं। 1 + 1

    (ii) मौलिक अधिकार न्याय संगत है जबकि प्राकृतिक अधिकार नहीं।

    (iii) प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था में संभव हो सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार राज्य में उपलब्ध होते हैं। (कोई दो)
11. मतदाता सूचियों को तैयार करना 4 × 1

    चुनाव के लिए तिथि निश्चित करना

    चुनाव का निरीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण

    चुनाव करवाना

    उप-चुनाव करवाना

    चुनाव चिन्ह प्रदान करना (अथवा अन्य कोई 4)

12. शक्तियों के बँटवारे में अधिक शक्तियाँ दी जाए जैसे पंजाब और तमिलनाडु सरकारों ने अधिक वित्तीय अधिकार। 4 × 1
प्रशासकीय विषयों पर केन्द्र का कम नियंत्रण।
हिन्दी भाषा को गैर हिन्दी भाषीय राज्यों में लागू न किया जाए।
अन्य भाषाओं व संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाए।
राज्यपालों को राज्यों की सलाह से नियुक्त किया जाए। (कोई चार)

13. स्थानीय स्तर की लोकतान्त्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। 4 × 1
तीन स्तरीय पंजायतीराज व्यवस्था
ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की परिभाषा
पंचायतों की रचना
सदस्यों का चुनाव
पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में
सीटों का आरक्षण (या अन्य कोई चार, संक्षिप्त विवरण)

14. प्लेटो के अनुसार जिसका जिसको प्राप्त है वह देना ही न्याय है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम कल्याण है। और न्याय का अर्थ भी व्यक्ति को प्राप्य है वही देय है। वर्तमान में व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का अर्थ लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिमा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के अवसर प्राप्त हों। सभी के साथ समानता का व्यवहार व अवसरों की समानता हो। (विस्तृत विवरण) 4

15. राज्य के चार अनिवार्य तत्व हैं, राष्ट्र के अनेक तत्व हैं। 4 × 1
राष्ट्र के लिए एकता की भावना अनिवार्य, राज्य के लिए नहीं।
राज्य के लिए निश्चित भू-भाग आवश्यक, राज्य के लिए नहीं।
राज्य के लिए प्रभुसत्ता अनिवार्य, राष्ट्र के लिए नहीं। (या अन्य कोई 4)

16. विश्व शांति व सुरक्षा के लिए। 4 × 1
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के लिए।
युद्धों की भीषणता कम करने के लिए।
विश्व के आर्थिक विकास के लिए।
सैन्यीकरण व युद्धों को रोकने के लिए।
मानवजाति के कल्याण के लिए। (या अन्य कोई 4 संक्षिप्त विवरण सहित)

17. (i) 6 1
(ii) संविधानिक उपचारों का अधिकार। 1
(iii) व्यक्ति, निजी संगठनों तथा सरकार के विभिन्न अंगों से। 3

18. (i) अनैतिक व निरंकुश प्रतिबन्धों सहित स्वतन्त्रता। 2
(ii) सभी प्रतिबन्धों का अभाव ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। 2
(iii) निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतन्त्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास कर सकता है। (i, ii - संक्षिप्त विवरण सहित)

19. (i) बिना किसी धर्म, जाति, लिंग व जन्मस्थान के भेद के भेदभाव का निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता की स्थापना।

(ii) कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई की कानून से ऊपर या विशेष नहीं है। राज्य भी सभी के लिए एकसा कानून बनाएगा बिना किसी भेदभाव, सभी पर साधारण न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा, व्यक्ति चाहे कोई भी हो।

(iii) अनुच्छेद 17 (समानता के मौलिक अधिकार के अन्तर्गत)

20. (i) विभिन्न मन्त्रालयों के मन्त्रिगण। 1

(ii) मन्त्रालयों के लिए धन आबंटित कराने के लिए, संसद से स्वीकृति के पश्चात ही धन आबंटित हो सकता तथा ये कार्य विनम्रता से ही संभव हैं। 2

(iii) संसद की कराधान तथा धन के प्रयोग पर नियन्त्रण की शक्ति। 2

21. (i) विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। 2

(ii) औद्योगिक विकास, गरीबी, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति इत्यादि (या अन्य कोई) 1

(iii) भूमण्डल का ताप बढ़ना, कृषि योग्य भूमि कम होना, जल प्रदूषण, ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन। (या अन्य कोई) 2

22. प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक तथा गणराज्य शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या। 6

अथवा

संविधान निर्माताओं ने खुले दिल से दूसरे देशों के संविधान के गुणों को संचित किया इसी कारण आलोचकों द्वारा संविधान के बारे में ऐसा कहा गया है पर वास्तविकता यह है कि भारतीय संविधान के निर्माण पर अनेक तत्त्वों का योगदान रहा है।

ब्रिटिश संविधान—शक्तिशाली लोकसभा, राष्ट्रपति मुखिया संसदीय शासन प्रणाली, एकीकृत ढाचा।

अमरीकी संविधान—मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुर्ननिरीक्षण, संघात्मक ढांचा।

आयरलैंड, कनैडियन, जर्मन, आस्ट्रेलिया के संविधानों का प्रभाव बताते हुए छात्र भारतीय संविधान की मूल-भूत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्षत: उसे भारतीय स्थितियों के अनुकूल प्रस्तुत करेंगे।

23. नियुक्ति सम्बन्धी, योग्यता, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, राजनीतिक सम्बंधों, भूमिकाओं तथा परस्पर सम्बन्धों से सम्बन्धित। 6
(संक्षिप्त व्याख्या सहित)

अथवा

मन्त्रिमण्डल के नेता के रूप में—मन्त्रिपरिषद का निर्माण। विभागों का विभाजन मन्त्रिमण्डल का सभापति, मन्त्रियों का हटाना। समन्वयकारी रूप, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, सरकार का मुखिया, राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल में महत्वपूर्ण कड़ी, सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, संसद का नेता, नियुक्तियाँ, विदेशी नीतियों का निर्माता, संकटकालीन शक्तियाँ। (संक्षिप्त वर्णन सहित)

24. अनुच्छेद 308 में संशोधन की दो विधियों का वर्णन है। परन्तु ये तीन विधियों से होता है। 6

(i) संसद द्वारा साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नागरिकता की प्राप्ति समाप्ति, सर्वोच्च न्यायलय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना।

(ii) संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से संशोधन है दोनों सदनों में कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संभव।

(iii) संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधान पालिकाओं के अनुमोदन द्वारा संशोधन—इसमें राष्ट्रपति का चुनाव, और चुनाव विधि, केन्द्र व राज्यो के वैधानिक सम्बन्ध, संघीय सरकार व राज्य सरकारों की कार्य-पालिका सम्बन्धी शक्तियों की सीमा इत्यादि। (विस्तारपूर्वक वर्णन)

अथवा

इसके कुछ भागों में सरलता, कुछ में कठिन व कुछ भागों में कठिनतम तरीके से ही बदलाव संभव है। इसी लिये ऐसा कहा गया है। छात्र इस में संशोधन विधियों की व्याख्या तथा संशोधन के विषय क्षेत्र सहित विस्तारपूर्वक लिखेंगे।

25. राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, शासन प्रबन्ध का अध्ययन, समुदायों तथा संस्थानों का राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व संगठनों तथा सम्बन्धों, नेतृत्व का, राजनीतिक दलों, सत्ता व शक्ति का अध्ययन। (संक्षिप्त किन्हीं छः का वर्णन)

अथवा

राजनीतिक वास्तविकता को समझंने में सहायक, ज्ञान का सरलीकरण करना, व्यावहारिक दक्षताओं का विकास, समस्याएं सुलझाने में सहायक, शासन प्रणालियों को वैधता प्रदान करना, बुद्धि का विस्तार, राजनीतिक आन्दोलन की प्रेरणा, सामाजिक परिवर्तन को समझने व व्याख्या के लिए सहायक। (किन्ही छः का संक्षिप्त परिचय) 1 × 6

26. (1) नागरिक राज्य का होता है विदेशी राज्य का सदस्य नहीं 6 × 1

(2) राज्य भक्ति के आधार पर

(3) अधिकारों के आधार पर

(4) सैनिक सेवा के आधार पर

(5) न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के आधार पर

(6) प्रकारों के आधार पर (संक्षिप्त अर्थ व विस्तार)

अथवा

लम्बे समय तक अनुपस्थिति, विवाह, विदेश में सरकारी नौकरी, स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग, पराजय द्वारा, सेना से भाग जाने पर, देशद्रोह, गोद लेना, विदेश सरकार से सम्मान प्राप्त करना, विदेश में संपत्ति खरीदना। (कोई छः अर्थसहित)

27. स्वतन्त्रता के पश्चात भारत को संविधान में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। इसकी विशेषताएँ प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल, राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य की दृष्टि में सब धर्म समान, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार, सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की मनाही, छुआछूत की समाप्ति इत्यादि इसे सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। (उपरोक्त बिन्दुओं की संक्षिप्त व्याख्या) 6

अथवा

(1) न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा 6

(2) नौकरी की सुरक्षा

(3) लम्बा कार्यकाल

(4) अच्छा वेतन तथा पेंशन

(5) सेवा की शर्तों में हानिकारक परिवर्तन न होना

(6) न्यायाधीशों की उच्च योग्यताएँ

(7) रिटायर होने के पश्चात् वकालत की मनाही

(8) न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। (कोई छः)

सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, मार्च – 2016
मूल्यांकन योजना–राजनीति विज्ञान
अपेक्षित उत्तर/मूल्य बिन्दु
59/1/1

प्र0 1. उ0	बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है ? a. यह पूँजीपति तथा साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी। b. इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात् किया गया। c. लोगों द्वारा इसे 9 नवम्बर, 1989 को तोड़ दिया गया। d. यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक था। यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक था।	1
प्र0 2. उ0	आसियान (ए.एस.ई.ए.एन.) की स्थापना क्यों की गई ? आसियान (ए.एस.ई.ए.एन.) की स्थापना के कारण : (i) आर्थिक वृद्धि को तीव्र करने के लिए। (ii) सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। (iii)क्षेत्रीय शांति तथा स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए।	1
प्र0 3. उ0	दोनों में से अधिक अनिवार्य कौन सा है और क्यों – बड़े बाँधों का निर्माण अथवा इसका विरोध करने वाले पर्यावरण संबंधी आंदोलन ? परीक्षार्थी दिए हुए विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में लिख सकता है – परन्तु उसके उत्तर के साथ तर्क होना चाहिए। जैसे – • विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए बांधों का निर्माण आवश्यक है अथवा • बांधों का निर्माण लोगों के विस्थापन और पर्यावरण का निम्नीकरण करता है। अतः इसके विरूद्ध आंदोलन आवश्यक है।	1
प्र0 4. उ0	गुट–निरपेक्षता की रणनीति के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू किन दो लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना चाहते थे ? (i) कठिनाई से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा । (ii) क्षेत्रीय अखण्डता और एकता को बनाए रखना। (iii)तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। (कोई दो)	2x½=1
प्र0 5. उ0	चिपको आंदोलन के सर्वाधिक अनूठे पहलू को उजागर कीजिए। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर	1
प्र0 6. उ0	शीत युद्ध की किन्हीं दो प्रमुख सैन्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। (i) दो महाशक्तियों के नेतृत्व में दो सैन्य गुटों का होना। (ii) महाशक्तियां युद्ध लड़ने के खतरों अर्थात महाविनाश से परिचित थीं । अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर	2x1=2

प्र0 7.	**"स्वतंत्र भारत के नेता राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे; वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे।" आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं ?**	
उ0	परीक्षार्थी को उत्तर के पक्ष में तर्क / तथ्य / उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण के लिए : स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकांश नेताओं ने राजनीति को चुना और लोगों की समस्याएं हल करने के लिए सत्ता में आने का प्रयास किया। अथवा अन्य कोई उपयुक्त उत्तर	2
प्र0 8.	**निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए :** **'A'** — **'B'** **(a)राजनीति से प्रेरित विवादास्पद नियुक्ति** — **(i) चारू मजूमदार** **(b)1947 में रेलवे की हड़ताल का नेतृत्व किया** — **(ii) जय प्रकाश नारायण** **(c)नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होन से इंकार** — **(iii) जार्ज फर्नांडिस** **(d)पुलिस हिरासत में मौत** — **(iv) न्यायमूर्ति ए. एन. रे.**	
उ0	(a) (iv) न्यायमूर्ति ए. एन. रे. (b) (iii) जार्ज फर्नांडिस (c) (ii) जय प्रकाश नारायण (d) (i) चारू मजूमदार	4x½=2
प्र0 9.	**हालांकि 1950 के दशक में, देश के शेष हिस्सों को भाषायी आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी ?**	
उ0	'पंजाबी सूबा' आंदोलन का नेतृत्व कमजोर था और इस आंदोलन को गैर सिक्खों और सिक्खों में भी कुछ जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। पंजाब का यह आंदोलन अन्य राज्यों में हुए आंदोलनों जैसा मजबूत नहीं था।	2
प्र0 10.	**पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन कैसे और कब तक पूरा किया गया ?**	
उ0	उत्तर–पूर्व राज्यों का पुनर्गठन लगभग 1972 में पूरा हो गया था, जैसे 1972 में आसाम में से एक क्षेत्र ले कर मेघालय बनाया गया। मणिपुर और त्रिपूरा भी इसी वर्ष अलग राज्य के रूप में उभरे। परन्तु अरूणाचल प्रदेश 1987 में बना जबकि नागालैण्ड 1963 में ही बन गया था।	2
प्र0 11.	**चीन की नई आर्थिक नीति ने किन चार तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया ?**	
उ0	**(i)** जड़ता को समाप्त करके **(ii)** कृषि के निजीकरण से **(iii)**व्यापार के नए नियम और नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण द्वारा **(iv)**ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ने की तीव्र वृद्धि दर से	4x1=4

प्र0 12.	**एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ? इसके मुख्य कार्य लिखिए।**	
उ0	• **एमनेस्टी इंटरनेशनल** एक गैर सरकारी स्वंयसेवी संगठन है। • कार्य : **(i)** यह मानवाधिकारों से जुड़ी रिर्पोट तैयार और प्रकाशित करता है। **(ii)** यह सरकारी अधिकारियों के दुर्व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करता है। **(iii)** यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। **(iv)** अन्य कोई प्रासंगिक बिन्दु।	1+3=4
प्र0 13.	**'वैश्विक संपदा से क्या अभिप्राय है ? ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आसान नहीं है ?**	
उ0	• विश्व की सांझी सम्पदा उन संसाधनों को कहते है जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह ओर बाहरी अंतरिक्ष। • ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि : **(i)** एक सर्व–सम्मत र्प्यावरणीय एजेंडे पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। **(ii)** बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबन्धन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। **(iii)** बाहरी अंतरिक्ष में हो रहे दोहन कार्यों का लाभ न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और न आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। (कोई दो कारण)	2+2=4
प्र0 14.	**भारत की कॉंग्रेस पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों में एकदलीय प्रभुत्व के उदाहरणों से किस प्रकार भिन्न है ? स्पष्ट कीजिए।**	
उ0	**यह निम्नलिखित कारणों से भिन्न है :** **(i)** भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम नहीं हुआ है। **(ii)** भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित थी जबकि चीन और रूस जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व एकल पार्टी व्यवस्था के कारण था। **(iii)** भारत में म्यांमार और बेलारूस की तरह एक पार्टी का प्रभुत्व सैन्य दखलान्दजी के कारण नहीं था। **(iv)** भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व उसकी अपनी लोकप्रियता के कारण था।	4
प्र0 15.	**भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के मुख्य परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।**	
उ0	**भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के मुख्य परिणाम :** **(i)** कृषि, व्यापार और उद्योगों का अधिकांश भाग निजी हाथों में छोड़ दिया गया। **(ii)** राज्य द्वारा नियंत्रित मुख्य भारी उद्योगों ने औद्योगिक ढ़ांचे, नियमित व्यापार और कृषि में महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप किया।	

	इससे निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में वृद्धि हुई और इसने भावी विकास को आधार किया।	4
प्र0 16.	**1977 के चुनावों को जनता पार्टी ने किस प्रकार 1975 में लगाए गए आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया ? व्याख्या कीजिए।**	
उ0	**जनता पार्टी ने 1977 के चुनावों को निम्नलिखित ढंग से जनमत संग्रह में बदला :** **(i)** सभी विरोधी दलों ने कांग्रेस के विरूद्ध आपस में हाथ मिलाकर जनता के सामने दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प रखा। **(ii)** जनता पार्टी ने लोकतंत्र की वकालत की तथा आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया। **(iii)** जयप्रकाश नारायण विपक्ष का चेहरा बन गया और जे. पी. एंव इन्दिरा के बीच एक को चुनने का विकल्प बन गया। **(iv)** जनता पार्टी ने लोगों को लोकतंत्र और तानाशाही के बीच किसी एक को चुनने का आह्वान किया।	4
प्र0 17.	**दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:–** हर देश को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था कि इस दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। 'शॉक थेरेपी' की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढाँचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। 'सामूहिक फार्म' को 'निजी फार्म' में बदला गया और पूँजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या 'तीसरे रूख़' को मंजूर नहीं किया गया। **i. ऐसे दो देशों के नाम लिखिए जिन्हें अपनी व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन लाना था।** **ii. सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों में क्यों बदला जाना था ?** **iii. क्योंकि किसी तीसरे रास्ते की कोई सम्भावना नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पहले दो रास्ते कौन से थे ?**	
उ0	**(i)** आर्मीनिया, जार्जिया, उज़्बेकिस्तान अथवा सोवियत संघ के विघटन के बाद बना कोई अन्य देश। (कोई दो देश) **(ii)** राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था की समाप्ति एंव निजीकरण और उदारीकरण के लागू होने के कारण। **(iii)** a) राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था (समाजवाद) b) पूंजीवाद	1+2+2=5
प्र0 18.	**दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:** सबसे सीधा–सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना उसे करने की ताकत में कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछेक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक–कल्याणकारी	

	कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक–कल्याण होता था। लोक–कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाज़ार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। **i. 'राज्य की क्षमता में कमी आना' एक उदाहरण द्वारा इन शब्दों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए।** **ii. 'कल्याणकारी राज्य' की धारणा का स्थान 'न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य' क्यों ले रहा है ?** **iii. बाज़ार किस प्रकार सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन गया है ?**	
उ0	**(i)** वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानि सरकारों को जो काम करना है, उसे करने की ताकत में कमी आती है। आजकल विभिन्न देशों की सरकारों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। **(ii)** निजीकरण के कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र में आ गई हैं। राज्यों की भूमिका आर्थिक विकास में सहायता करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। **(iii)** बहुराष्ट्रीय कंपनियां आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में आ गई हैं। उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजारों की तलाश है। अतः अब बाजार सामाजिक प्राथमिकताओं के निर्धारक बन गए हैं।	2+2+1=5
प्र0 19.	**दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएः** भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब–इज़रायल युद्ध हुआ था। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई। **i. भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया और क्यों ?** **ii. भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, उस काल को भारत की घरेलू राजनीति का, सबसे कठिन काल क्यों समझा जाता है ?** **iii. 1970 के दशक के प्रारंभ में घटित किस अंतर्राष्ट्रीय घटना के कारण भारत में मँहगाई बहुत बढ़ गयी थी ?**	
उ0	**(i) मई 1974 में –** आणविक ऊर्जा को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, प्रयोग करने के लिए। **(ii)** अरब – इज़रायल युद्ध के कारण कीमतें बढ़ रही थीं। अतः भारत आर्थिक मोर्चे पर संकटों का मुकाबला कर रहा था। **(iii)** 1973 का अरब – इज़रायल युद्ध।	2+2+1=5
प्र0 20.	**नीचे दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**	

i. दिए गए कार्टून से किन्हीं चार राष्ट्रीय नेताओं की पहचान कीजिए तथा प्रत्येक की क्रम संख्या भी लिखिए।

ii. भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेता न. 2 के कार्यकाल का सबसे विवादास्पद मुद्दा क्या था ?

iii. 1989 के लोकसभा निर्वाचन में, क्रम संख्या एक के नेतृत्व वाले दल की स्थिति क्या थी ?

उ0

i. 1 राजीव गांधी
2 वी. पी. सिंह
3 लाल कृष्ण आडवानी
4 देवी लाल
5 ज्योति बसु
6 चन्द्र शेखर
7 एन. टी. रामा राव
8 पी. के. मोहन्तो
9 के. करूणानिधि (कोई चार)

ii. मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना।

iii. 1989 में पार्टी बुरी तरह प्रभावित हुई तथा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। (415. सांसदों से घट कर 189 पर पहुँच गइ थी)

नोटः– निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 20 के स्थान पर हैं।

20.1 1984 के लोकसभा निर्वाचन में किस दल ने सर्वाधिक सीटें जीतीं और किसके नेतृत्व में ?

20.2 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने कौन सा सर्वाधिक विवादास्पद निर्णय लिया ? 2+1+2=5

20.3 किस प्रधानमंत्री ने नए आर्थिक सुधारों की शुरूआत की तथा इसका क्या परिणाम निकला ?

उ0

20.1 (i) कांग्रेस पार्टी 2+1+2=5
(ii) राजीव गांधी के नेतृत्व में

20.2 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना।

20.3 नए आर्थिक सुधार राजीव गांधी द्वारा लागू किए गए। इसने आर्थिक नीति की दिशा को यकायक बदल दिया।

प्र0 21. **दिए गए दक्षिण एशिया के रेखा–मानचित्र में, पाँच देशों को A, B , C , D तथा E द्वारा चिह्नित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान कीजिए और उत्तरपुस्तिका में उनके सही कम संख्या तथा संबंधित अक्षर, नीचे दी गई तालिका के रूप में लिखिए।**

प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या	संबंधित अक्षर	देश का नाम
(i) से (v) तक		

i. एक महत्त्वपूर्ण देश परंतु उसे दक्षिण ऐशिया का भाग नहीं समझा जाता।

ii. इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल रही है।

iii. इस देश में सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के शासक रहे हैं।
iv. वह देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा है।
v. एक द्वीपीय राष्ट्र जो 1968 तक एक सल्तनत था।

उ0

प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या	संबंधित अक्षर	देश का नाम
(i)	B	चीन
(ii)	D	श्रीलंका
(iii)	E	बांग्लादेश
(iv)	A	नेपाल
(v)	C	मालदीव

5x1=5

नोटः– निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 21 के स्थान पर है।

21.1 दक्षिण एशिया में प्रायः कौन–कौन से देश शामिल किए जाते हैं ?

21.2 दक्षिण एशिया के कौन से दो देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है।

21.3 दक्षेस (SAARC) तथा साफ्टा (SAFTA) के विस्तृत रूप लिखिए।

उ0 **21.1** बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान

नोटः यदि परीक्षार्थी अफगानिस्तान नहीं लिखता है तब भी उसे अंक दिए जाएं।

21.2 श्रीलंका और भारत

21.3 **दक्षेस (SAARC)** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहकारी संगठन

साफ्टा (SAFTA) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार–क्षेत्र समझौता

2+1+2=5

प्र0 22. **सोवियत संघ व्यवस्था की किन्हीं तीन सकारात्मक तथा तीन नकारात्मक विषेषताओं को उजागर कीजिए।**

उ0 <u>सकारात्मक विशेषताएं :</u>

(i) सोवियत व्यवस्था अमेरीका को छोड़कर शेष पूरे विश्व से कहीं अधिक विकसित थी।
(ii) सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था।
(iii) सरकार द्वारा बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ों को रियायती दर पर उपलब्ध करवाना।
(iv) बेरोजगारी का न होना।
अन्य कोई सकारात्मक विशेषता

(कोई तीन विशेषताएं)

<u>नकारात्मक विशेषताएं :</u>

(i) व्यवस्था सत्तावादी थी और नौकरशाही का कड़ा शिकंजा था।
(ii) लोकतंत्र की कमी और अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता का न होना।
(iii) केवल एक दलीय व्यवस्था का होना।
(iv) पार्टी द्वारा लोगों की भावनाओं और अपेक्षाओं की अवहेलना।
अन्य कोई नकारात्मक विशेषता

(कोई तीन विशेषताएं) 3+3=6

	अथवा **यह कहना कहाँ तक उचित है कि शीत युद्ध के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों की लाभ हानि के गणित से होता था ? व्याख्या कीजिए।**	
उ0	यह कथन महाशक्तियों तथा उनके गठबंधन के बारे में बिल्कुल ठीक है। **(i)** महाशक्तियों ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करके देशों को अपने पक्ष में किया। **(ii)** सोवियत संघ ने अपने गुट (गठबंधन) के देशों की बड़ी सेनाओं के बल पर पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का प्रयोग किया। **(iii)** दूसरी ओर अमरीका ने सीटो और सेन्टो जैसे गठबंधन बनाए तथा उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ सोवियत संघ और चीन ने अपने संबंध मजबूत किए। **(iv)** महत्त्वपूर्ण संसाधनों की जरूरत को पूरा करने के लिए गठबंधन बनाए गए। **(v)** महाशक्तियों को अपने हथियारों के संचालन के लिए भू–क्षेत्रों की आवश्यकता थी। **(vi)** आर्थिक मदद एक अन्य मुद्दा था। उत्तर के पक्ष में अन्य कोई बिन्दु	6x1=6
प्र0 23.	**संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत के सम्बन्ध किस प्रकार के होने चाहिए। इसके बारे में, भारत के अंदर तीन विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण कीजिए।**	
उ0	**(i)** भारत को अमरीका से अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए और उसे अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। **(ii)** भारत को अमरीकी वर्चस्व और आपसी समझ का यथा संभव अपने हित में लाभ उठाना चाहिए। अमरीका का विरोध करना व्यर्थ होगा और अंततः भारत को क्षति पहुंचेगी। **(iii)** भारत को विकासशील देशों का गठबंधन बनाने में नेतृत्व देना चाहिए। अन्य कोई दृष्टिकोण (कोई तीन व्याख्या सहित)	3x2=6
	अथवा **ऐसे किन्हीं तीन प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल कर, एक राजनैतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी हैं।**	
उ0	**(i)** 1949 में स्थापित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग की दिशा में एक कदम बढ़ाना था। **(ii)** 1957 में यूरोपीय इकनामिक कम्युनिटी के गठन से राजनीतिक चर्चा शुरू हुई जिससे यूरोपीय पार्लियामेण्ट का गठन हुआ। **(iii)** सोवियत संगठन के विघटन ने यूरोप में इस प्रक्रिया को तेजी प्रदान की और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ के रूप में हुई। **(iv)** इसने अपना झंडा, स्थापना दिवस, गान और अलग मुद्रा को अपनाया। **(v)** विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इसका अपना राजनीतिक प्रभाव भी है। (कोई तीन व्याख्या सहित)	3x2=6
प्र0 24.	**ऐसे किन्हीं तीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश साथ मिलकर कार्य करें।**	

उ0	अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मुद्दे : (i) आतंकवाद (ii) ग्लोबल वार्मिंग / पर्यावरणीय निम्नीकरण (iii) पीने के पानी की कमी (iv) वैश्विक गरीबी (v) संक्रामक रोग अन्य कोई सही मुद्दा (कोई तीन का वर्णन)	3x2=6
	अथवा **बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है ? इस प्राकर की सुरक्षा के किन्हीं दो तत्त्वों का वर्णन कीजिए।**	
उ0	• <u>बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा :</u> किसी देश को सबसे बड़ा खतरा सैन्य खतरा माना जाता है। • <u>बाह्य सुरक्षा के तत्व :</u> (i) बाहरी आक्रमण के विरुद्ध अपनी रक्षा करना अथवा उसे रोकना। (ii) युद्ध को टालना। (iii) शक्ति संतुलन / गठबंधन बनाना (कोई दो व्याख्या सहित)	2+4=6
प्र0 25.	**"क्षेत्रीय माँगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना, एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया।" इस कथन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए कोई तीन उपयुक्त तर्क दीजिए।**	
उ0	**<u>कथन के समर्थन में तर्क :</u>** (i) 60 वर्षों में भाषायी आधार पर बनने वाले राज्यों ने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को सकारात्मक और रचनात्मक बना दिया है। (ii) भाषायी आधार पर राज्यों के निर्माण से राज्यों की सीमाएं निर्धारित करने में भाषा सभी के लिए एक समान आधार बन गई है। (iii) इससे देश का विघटन के बजाय एकीकरण हुआ है। (iv) लोगों की क्षेत्रीय अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, लोगों को ताकत मिली है और लोकतंत्र सफल हुआ है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अनेक क्षेत्रीय अपेक्षाओं को स्थान दिया जा रहा है। (कोई तीन व्याख्या सहित)	3x2=6
	अथवा **स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल से संबंधित सहमति तथा असहमति के विभिन्न क्षेत्रों का परिक्षण कीजिए।**	
उ0	**<u>सहमति के क्षेत्र :</u>** (i) भारत के विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि एंव सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए।	

	(ii) विकास के मुद्दे को केवल व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता अपितु सरकार को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। **(iii)** गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण के काम को सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी माना गया। **<u>असहमति के क्षेत्र :</u>** **(i)** सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर असहमति। **(ii)** यदि आर्थिक वृद्धि से भिन्नता हो तो न्याय की जरूरत से जुड़े महत्त्व पर असहमति। **(iii)** उद्योग बनाम कृषि तथा निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दे पर असहमति।	3+3=6
प्र0 26.	**लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात्, इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली किन्हीं चार उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए।**	
उ0	• **इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियां :** **(i)** इंदिरा गांधी लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं। **(ii)** वह 1958 में कांग्रेस अध्यक्ष बन गई थी। **(iii)** वह 1964–66 में शास्त्री जी के मंत्रीमंडल में सूचना मंत्री रह चुकी थीं। (कोई दो बिंदु) • **इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली उपलब्धियां :** **(i)** उसने 'गरीबी हटाओ' का लोकप्रिय नारा दिया था। **(ii)** उसने सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि पर ध्यान दिया। **(iii)** उसने ग्रामीण भूमि की तथा शहरी सम्पति की हदबन्दी की जिससे आर्थिक असमानता कम हो सके। **(iv)** उसने रज़वाड़ों को दी जाने वाली सुविधाएं कम कीं। **(v)** 1971 में भारत–पाकिस्तान युद्ध में निर्णायक जीत। **(vi)** 1974 में पहला आणविक विस्फोट। (कोई चार बिंदु)	2+4=6
	अथवा **25 जून, 1975 को भारत में आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए।**	
उ0	**आपातकाल लागू करने की परिस्थितियाँ :** **(i)** न्यायपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संघर्ष। **(ii)** वृद्धि दर में कमी और कीमतों का बढ़ना। **(iii)** बिहार और गुजरात में मंहगाई और भ्रष्टाचार के विरूद्ध छात्र आंदोलन। **(iv)** जॉर्ज फर्नाडीज़ के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल। **(v)** रामलीला मैदान की विशाल रैली जहां जयप्रकाश नारायण ने कर्मचारियों से सरकार के अवैध आदेश न मानने का आग्रह किया। **(vi)** इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने का निर्णय।	6

प्र0 27.	**भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जाने वाले किसान आंदोलन को, सर्वाधिक सफल जन आंदोलन बनाने वाले किन्हीं छः कारकों का वर्णन कीजिए।**	
उ0	**i.** भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चला यह आंदोलन बहुत ही अनुशासित था। **ii.** भारतीय किसान यूनियन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसलों पर एकजुट करने के लिए 'जाति पंचायत' की परम्परागत संस्था का उपयोग किया। **iii.** धनराशि एंव संसाधन जुटाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने इसी जातिगत–वंशगत सम्पर्क जाल का प्रयोग किया। **iv.** भारतीय किसान यूनियन की मांगे किसानों की चिर प्रतीक्षित मांगे थीं और उनके हित में थीं। इसलिए किसानों द्वारा तुरन्त स्वीकार कर ली गईं। **v.** भारतीय किसान यूनियन ने स्वंय को अराजनीतिक रखा और एक दबाव समूह के रूप.में काम किया। **vi.** भारतीय किसान यूनियन ने दबाव की नीति प्रयोग की और किसानों की शक्ति का प्रदर्शन किया। अन्य कोई उपयुक्त बिंदु	6x1=6
	अथवा	
	क्षेत्रीय आकांक्षाएँ तथा उनकी पूर्ति लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। इस विचार से मिलने वाली किन्हीं तीन शिक्षाओं का वर्णन कीजिए।	
उ0	**i.** क्षेत्रीय आकाक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं और क्षेत्रीय आकाक्षाओं को अभिव्यक्त करना सामान्य है। **ii.** क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ताएं और संवाद सर्वश्रेष्ठ तरीके हैं। **iii.** क्षेत्रीय मुद्दों को सत्ता की साझेदारी के माध्यम से संवैधानिक ढ़ांचे में ही हल किया जा सकता है। **iv.** क्षेत्रीय संतुलन और आर्थिक विकास से भेदभाव की भावना में कमी आती है। अतः क्षेत्रों के पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के प्रयास होने चाहिए। **v.** संवैधानिक प्रावधानों में ही क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के प्रावधान पहले से ही निहित हैं। संविधान की छटी अनुसूची विभिन्न कबीलों (जन जातियों) को अपनी प्रथाओं और पारम्परिक कानूनों को संरक्षित रखने की अनुमति देती है। **vi.** संघवाद का सही अर्थों में सम्मान होना चाहिए। अन्य कोई उपयुक्त शिक्षा (कोई तीन बिंदु)	3x2=6

पाठ-1

राष्ट्रवाद

परिचय

राष्ट्र निर्माण का मूल आधार राष्ट्रवाद है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो लोगों में एकता की भावना स्थापित करती हैं। जर्मनी और इटली का एकीकरण तथा एशिया और अफ्रीका के लोगों का उपनिवेशवाद के विरूद्ध सामूहिक संघर्ष राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित रहा है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का एक अन्य पक्ष यह दर्शाता है कि एकता के साथ-साथ यह इतिहास में विघटन का कारण भी रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में एकता का भाव उनकी कौन सी पहचान के कारण पैदा हुआ है। धर्म आधारित राष्ट्रीयता के विचार का आधार बना कर मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के विभाजन की पेशकश की। जबकि 1971 में मुस्लिम बहुल पाकिस्तान का विभाजन भाषायी व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण हुआ। और पूर्वी पाकिस्तान एक नए राष्ट्र 'बांग्लादेश' के रूप में स्थापित हुआ। अतः राष्ट्रवाद को परिभाषित करना सरल नहीं है। यह एक ऐसी मनः स्थिति जिसमें लोग अपनेपन और जुड़ाव को महसूस करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इसके कारक भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

अधिगम परिणाम

(1) राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति एवं विकास को समझ सकेंगे।

(2) राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को समझ सकेंगे।

(3) राष्ट्रवाद, अन्तर्राष्ट्रीयवाद तथा साम्राज्यवाद के सम्बन्ध को समझना।

(4) राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाओं की स्वीकार करना।

(5) लोकतन्त्र एवं राष्ट्रवाद के बीच सम्बन्ध सुनिश्चित करने की जरूरत को स्वीकार करने में समर्थ होना।

(6) अधिकार के भाव को समझना।

(8) राष्ट्रवाद और बहुलवाद में सम्बन्ध स्थापित करना।

राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद–राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की कोई मानक परिभाषा प्रस्तुत करना अत्यधिक दुष्कर कार्य है। या तो इन शब्दों का प्रयोग पर्याय रूप में या फिर विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न रूपों में किया जाता है।

राष्ट्र जनता का कोई आकास्मिक समूह नहीं है। लेकिन यह समाज में पाये जाने वाले अन्य समूहों या समुदायों से अलग है। यह प्रत्यक्ष सम्बन्धों पर आधारित परिवार से जनजातीय, जातीय और अन्य सगोत्रीय समूहों में भी अलग है क्योंकि इस समूहों के सदस्य आपस में एक-दूसरे को जानते हैं किन्तु राष्ट्रवाद के सदस्य एक-दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से न जानते हुए भी अपनेपन के भाव से जुड़े होते हैं राष्ट्रवाद को मातृभूमि से प्रेम अथवा देशभक्ति का पर्याय

माना जाता है। एकता के कठिन बन्धन से बन्धे लोगों का यह समूह हो सकता है जो प्रभुता-सम्पन्न के साथ-साथ विदेशी जुए से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा हो।

इस प्रकार राष्ट्रवाद का निहितार्थ सामान्य राजनैतिक संवेग से है जो प्रभुतासम्पन्न राजनैतिक राज्य का समरूपी माना जाता है।

सामान्यत: माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल,नस्ल,भाषा,धर्म, या जातीयता जैसी कुछ निश्चित पहचान में सहभागी होते हैं किन्तु उपर्युक्त तत्व वर्तमान राजनीति-विज्ञान में राष्ट्रवाद के गठन के लिए इतना महत्त्व नहीं रखते। कोई ऐसा विशिष्ट गुण नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हो कई राष्ट्रों में एक सामान्य भाषा नहीं है जैसे कनाड़ा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा-भाषी लोग रहते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएँ बोलने वाले लोग साथ-साथ रहते हैं।

इस प्रकार से राष्ट्रवाद राष्ट्र का ही वैचारिक प्रति रूप है राष्ट्र को बार्कर के मत में इस प्रकार समझा जा सकता है कि ''राष्ट्र किसी प्रदेश में रहने वाले लोगों का निकाय है जो सामान्य रूप से विभिन्न नस्लों से सम्बन्धित होने पर भी अपने साझें इतिहास की धारा से अर्जित विचारों व भावनाओं में समान भागीदारी रखते हैं। यद्यपि? वह वर्तमान की अपेक्षा अतीत में अधिक, समान धार्मिक विश्वास की साझीं विरासत सम्मिलित करते हैं तथा साझें विचारों व भावनाओं के अतिरिक्त सामान्य इच्छा भी रखते हैं और उसके अनुरूप उस इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए अपने पृथक राज्य का निर्माण करते हैं। या उसका प्रयास करते हैं।''

निष्कर्षत: राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है।

राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व–

राष्ट्र के तत्व

अनिवार्य तत्व	कुछ गौण तत्व
(1) साझे विश्वास तथा भावनाएं	(1) सामान्य जातीय और रक्त सम्बन्ध
(2) सांझी विरासत तथा संस्कृति	(2) समान धर्म
(3) सांझी राजनैतिक आकांक्षाएँ	(3) समान भाषा
(4) सांझा भू-क्षेत्र	(5) सांझा इतिहास

राष्ट्रवाद के या राष्ट्र की स्थापना के उपर्युक्त तत्वों को विस्तार पूर्वक इस प्रकार समझा जा सकता है।

(1) **सांझे विश्वास तथा भावनाएं**–राष्ट्र पर्वतों या भवनों की तरह स्थूल नहीं होते बल्कि यह सांझे विश्वासों और भावनाओं जैसे सूक्ष्म तत्वों पर आधारित होते हैं। जिन्हें देखा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। किसी राष्ट्र का नागरिक कहीं भी निवास करें किन्तु भावनाओं के माध्यम से अपने राष्ट्र के प्रति बलिदान होने के लिए तैयार रहता है।

राष्ट्र की तुलना एक टीम से भी की जा सकती है, जो एक साथ काम करते हों या खेलते हों और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वे स्वयं को एकीकृत समूह मानते हों। अगर वे अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते तो एक टीम की

उनकी भावना और हैसियत जाती रहेगी और वे खेल खेलने या काम करने वाले महान् पृथक-पृथक व्यक्ति रह जाऐंगे।

एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी तक कायम रहेगा जब तक उसके सदस्यों के विश्वास और भावनाएँ एक-दूसरे के साथ हों।

(2) **समान विरासत और संस्कृति**—अपने को एक राष्ट्र मानने वाले लोग अपनी सांझी स्मृतियों, विवदतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों के जरिए अपने लिए इतिहास बोध निर्मित करते हैं। ये लोग अपने महान् नायकों और नायिकाओं के कार्यों की स्मृति में स्मारक बनाने में गर्व महसूस करते हैं अपने सांझे सांस्कृतिक उत्सवों और त्योहारों का आयोजन करते हैं।

जैसे भारत के लोग महात्मा गाँधी, अशफाकउल्ला खाँ, भगत सिंह आदि को स्मरण करते हैं [वैसे ही स्काउटलैण्ड के लोग बैनकवर्न को, स्विटजरलैण्ड के निवासी विलियम टेल को, फ्रांस के लोगों नेपोलियन को, यूहूदी ज्यावाद (ZIONISM) को स्मरण करके राष्ट्रवाद की भावना में वृद्धि करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में अन्य तत्वों की अपेक्षा यह तत्व अधिक प्रभावी रहा है।

(3) **साझें राजनीतिक आदर्श और आकांक्षाएँ**—राष्ट्र के सदस्यों की एक संयुक्त दृष्टि होती है कि वे कैसा राज्य बनाना चाहते हैं। और अन्य तत्वों के अलावा वे लोकतन्त्र, पंथनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों को स्वीकार करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के लोग अपने लिए स्वशासन चाहते हैं भारत में स्वामी दयानन्द द्वारा सुराज से अच्छा स्वराज्य को बताया गया था। यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की विस्तारवादी नीतियों के तीव्र विरोध में राष्ट्रीयों को सशक्त किया जिससे जर्मनी इटली, रूस तथा स्पेन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, प्रजातान्त्रिक विचारों के विकास ने राजा से हटकर राष्ट्र के प्रति लोगों को निष्ठावान करके राष्ट्रीयता के आदर्श को उच्च शिखर पर पहुचाया।

(4) **सांझा भू-क्षेत्र**—किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में लम्बे समय तक साथ रहने से उसमें एक विशेष प्रेम विकसित होता है जो अपनेपन की भावना को पुष्ट करता है। ये लोग इसके पश्चात् कहीं भी रहें अपनी गृहभूमि को ही स्वर्ग समान मानते रहते हैं जैसे इजराइल के यहूदी लोग। भारत के अप्रवासी लोग भी विदेशों में रहने के पश्चात् भी भारत भूमि से ही प्यार करते हैं।

(5) **नस्ल की एकता एवं रक्त सम्बन्ध**—नस्ल सम्बन्धी एकता राष्ट्र के विकास में सहायक होती है। प्रायः एक नस्ल के लोगों में एक राष्ट्र के प्रति लगाव रहता है जिसे वे अपना समझते हैं। उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। सामाजिक विकास की आरम्भिक दशा में राष्ट्र निर्माण में इसका अत्यधिक महत्त्व रहा नस्लीय एकता के कुछ उदाहरण हैं जैसे 1930 के दशक में हिटलर द्वारा यहूदियों पर अत्याचार और नार्डिकों को आर्य बताकर नस्लीय एकता से राष्ट्र को पोषित किया किन्तु वर्तमान में यह तत्व इतना महत्त्व नहीं रखता अमेरिका जैसे देश में आज अनेक नस्लों के लोग सुगठित राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं।

(6) **समान धर्म**—धर्म भी राष्ट्र निर्माण की एक प्रबल शक्ति रहा है भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान का निर्माण धर्म पर आधारित है। मुस्लिम देशों में धर्म को राष्ट्र के लिए मुख्य तत्व माना जाता है इजरायल राष्ट्र के निर्माण में यहूदी धर्म ही प्रबल तत्व रहा है किन्तु आज यह तत्व भी राष्ट्र निर्माण में गौण हो चला है और भारत जैसे विविध धर्मों वाले देश आज पंथनिरपेक्षता को महत्त्व प्रदान कर रहे हैं।

(7) **समान भाषा**—भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा लोग परस्पर सम्पर्क स्थपित करते हैं। भाषा भी राष्ट्रों के निर्माण

में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बांग्लादेश के निर्माण में उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा का विवाद ही था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्लाभाषा अपनाना चाहते थे जबकि पश्चिमी पाकिस्तान उन पर उर्दू भाषा थौपना चाहता था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस कारण राष्ट्र नहीं है कि वे राजनैतिक रूप से स्वतन्त्र तथा सामाजिक रूप से एकता बद्ध है, बल्कि इस कारण है कि उनके लोग समान भाषा का प्रयोग करते हैं जो अन्य लोगों की भाषा से भिन्न है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी भाषा पर गर्व करता है जैसे इंग्लैण्ड अंग्रेजी तथा फ्रांस फ्रेंच पर। कुछ राष्ट्रों की दो राजभाषाएं हैं ताकि भाषा सम्बन्धी कोई प्रश्न विवादित न हो जैसे कनाडा में दो राष्ट्रीय भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच स्विटजरलैण्ड में चार (स्विस, इटालियन, जर्मन और फ्रेंच) राष्ट्रीय भाषाएं हैं। कुछ राष्ट्रो ने अपनी विशेष भाषा विकसित कर ली है और सभी नागरिकों पर थोप दिया है जैसे सोवियत संघ ने रूसी भाषा और इण्डोनेशिया भाषा इस प्रकार राष्ट्रीयता के योगदान में भाषा की समानता वह तत्व है जिसके प्रति लोग अधिक जागरूक होते हैं और दमन के प्रति कट्टरता पूर्व संघर्ष करना चाहते हैं जैसा बांग्लादेश के निर्माण में हुआ।

ऊपर वर्णित एक नहीं अपितु अनेक स्थितियाँ राष्ट्रीयता के निर्माण में अहम् भूमिका निभाते हैं जिसके जरिये राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं। और यह सत्य है कि जिसे हम राष्ट्रीयता कहते हैं उसका सार मुख्यतः भावना का विषय है। इस सबके पश्चात् भी एक प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर लोग राष्ट्र के रूप में खुद को क्यों निरूपित करते हैं इसका उत्तर हम निम्नलिखित सिद्धान्तों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त–इस सिद्धान्त के अनुसार बाकी सामाजिक समूहों से अलग प्रत्येक राज्य का एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में गठन होना चाहिए। इस प्रकार वे आत्मनिर्णय का अधिकार माँगते हैं। इस आत्मनिर्णय के दावे में राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह माँग रखता है कि उसका पृथक राजनैतिक इकाई या राष्ट्र के दर्जे के रूप में मान्यता प्रदान की जाए।

नेपोलियन बोनापार्ट के साम्राज्यवादी अभियानों ने यूरोप के देशों में राष्ट्रवादी भावना की तीव्र किया अतः वाटरलू की लड़ाई के बाद वियना की कांग्रेस ने 1815 में इस सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की तभी 'एक राष्ट्र एक राज्य के आत्मनिर्णय का सिद्धान्त' सर्वत्र छा गया। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने अपने 14 सूत्रों में इसी तत्व पर बल दिया। यूरोप में 'एक संस्कृति एक राज्य' की मान्यता ने भी जोर पकड़ा वर्साय की सन्धि से बहुत से छोटे और नव स्वतन्त्र राज्यों का गठन हुआ लेकिन उस समय उठायी जा रही एक संस्कृति एक-राज्य की माँगों को सन्तुष्ट नहीं किया जा सका।

जब एशिया और अफ्रीका के राज्य औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तब राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को भी घोषणा की थी।

राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के दावे कुछ मायनों में तो सही ठहराए जा सकते हैं और कुछ अर्थों में यह अराजकता को जन्म देने वाले होगें। जिनका समाधान केवल नए राज्यों के गठन में नहीं वरना वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतान्त्रिक और समतामूलक बनाने में है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा तथा अलग-अलग संस्कृति और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह-अस्तित्व पूर्वक रह सकें।

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में इस बात पर बल दिया कि आत्मनिर्णय का अधिकार एक वाक्यमात्र नहीं हैं बल्कि यह कार्यवाही का एक आवश्यक सिद्धान्त है जिसकी उपेक्षा भविष्य में राजनेता अपने विनाश के मूल्य पर ही पर ही कर सकेगें। मार्क्सवादियों ने भी इसी सिद्धांत्त का समर्थन किया।

किन्तु इस सिद्धान्त के गम्भीर दोषों का भी उल्लेख किया जा सकता है। यदि किसी विशेष राष्ट्रीयता के लोगों

को स्वनिर्णय के आग्रह का अधिकार दिया गया तो बहुत राज्यों में अराजकता फैल जाएगी। इस प्रकार सिद्धान्त को मानना और न मानना दोनों चुनौतीपूर्ण कार्य ही कहे जाएगें।

आत्म निर्णय की माँग करने वाले विश्व के कुछ समुदाय

	समुदाय का नाम	देश का नाम
(1)	बास्क	स्पेन
(2)	क्यूबेक प्रान्त में फ्रांसीसी	कनाड़ा
(3)	कुर्द	इराक
(4)	क्रेन्ज	म्यांमार(बर्मा)
(5)	स्काट्स	ब्रिटेन (जनमत संग्रह में विफल)
(6)	तमिल	श्री लंका
(7)	पश्तू	पाकिस्तान

कुछ समुदाय जिनकी आत्म निर्णय की माँग को मान लिया गया

	समुदाय का नाम	देश का नाम
(1)	कटंगा	कांगो राज्य का विघटन
(2)	बांग्लादेश	पाकिस्तान का विघटन
(3)	पूर्वी तिमोर	इण्डोनेशिया का विघटन
(4)	दक्षिण सूडान	सूडान का विघटन

बास्क समुदाय की आत्मनिर्णय की माँग

उपर्युक्त तालिका में बास्क के आत्मनिर्णय पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है जिसके अनुसार बास्क, स्पेन का पहाड़ी और समूह क्षेत्र है। तथा इसे स्वायत्ता भी प्राप्त है किन्तु यह समुदाय इससे सन्तुष्ट न होकर अपनी संस्कृति,भाषा और भू-संरचना के आधार पर अलग देश की माँग कर रहे हैं।

स्पेनी तानाशह फ्रैको ने इस स्वायत्ता में कटौती कर दी। क्या वास्क समुदाय के लोगों की स्वायत्ता की माँग जायज है? या फ्रैको द्वारा स्वायत्ता में कटौती यह एक चुनौती भरा प्रश्न है।

राष्ट्रवाद और बहुलवाद–'एक संस्कृति एक राज्य' के विचार को त्यागते ही यह अनिवार्य हो जाता है कि ऐसे उपाय किये जाए जिससे विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक देश में फल-फूल सकें। आज वैश्वीकरण के युग में अनेक क्षेत्रों और समुदायों में राष्ट्रीय आकाक्षाएं उभर रही है। ऐसी मागों को उदारता और लोकतान्त्रिक ढंग से हल किया जाए अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधानों के तहत सुरक्षा प्रदान की जाए भारत के संविधान में धार्मिक, भाषायी और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है।

राष्ट्रवाद के विविध स्वरूप और उनकी संक्षिप्त व्याख्या	
(1) रूढिवादी राष्ट्रवाद	जो कुछ परम्परागत है उसके प्रति निष्ठा व भक्ति
(2) उदारवादी राष्ट्रवाद	वैयक्तिक स्वतन्त्रता के नाम पर राष्ट्रवाद का गठन
(3) एकाधिकारी राष्ट्रवाद	राष्ट्रवाद व राष्ट्र की उन्नति के नाम पर व्यक्ति का बलिदान
(4) मार्क्सवादी राष्ट्रवाद	वर्गविहीन समाज की स्थापना
(5) जनवादी राष्ट्रवाद	सम्पूर्ण जनता ही वास्तविक राष्ट्र है उसके अधिकारों की रक्षा व हितों का सम्पादन ही सच्चा राष्ट्रवाद है।

राष्ट्रवाद पर विद्वानो के विचार

(1) **रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार**–"राष्ट्रवाद से अधिक मानववाद को महत्व दिया उन्होंने अन्तराष्ट्रीयवाद का भी समर्थन किया तथा साम्राज्यवाद का विरोध किया।"

(2) **श्री अरविन्द घोष के अनुसार**–"भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं अपितु ये मेरी मातृशक्ति है और मैं पवित्र राष्ट्र को नमन करता हूँ अर्थात् ये राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे और इसे आध्यात्मिक शक्ति कहते थे।"

राष्ट्रवाद की अवधारणा द्वारा संवर्धित मूल्य	
(1)	मानवीय समूह को एक इकाई में गठित करके एक सामूहिक शक्ति प्रदान करना।
(2)	साम्राज्यवाद का विरोध करके निम्न स्तर के समूहों को शोषण से बचाना।
(3)	अनेक जातियों,वर्गों, धर्मों तथा भाषायी समूहों और संस्कृति वाले लोगों को एक स्थान पर भाईचारे के साथ रहना सीखाना।
(4)	अल्पसंख्यकों के हितो की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा राष्ट्रवाद का प्राण तत्व होना।
(5)	शासन व्यवस्था, राजनेताओं और किसी एक विचारधारा के स्थान पर राष्ट्र को प्रमुखता प्रदान करना।

पाठगत अवधारणाऐं	
(1)	उदारवाद–ऐसी विचारधारा जिससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अधिक महत्त्व दिया जाता है।
(2)	साम्राज्यवाद–अपने राष्ट्र की सीमाओं का विस्तार करके अधिक से अधिक राष्ट्रों के अपने अधीन करने का प्रयास
(3)	स्वायत्ता– स्वतन्त्रता
(4)	आकांक्षाओं–इच्छाएँ

अपेक्षित प्रश्न

एक अंकीय प्रश्न

(1) राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति को समझाइए।

(2) राष्ट्रवाद का कोई एक सिद्धान्त लिखिए।

(3) किसी एक विद्वान द्वारा दी गयी राष्ट्रवाद की परिभाषा लिखिए।

दो अंकीय प्रश्न

(1) राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने वाले दो कारक लिखिए।

(2) अलग राष्ट्र की माँग करने वाले किन्ही चार वैश्विक समूहों का नाम लिखिए।

पाठ-2

राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

परिचय

भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी एक लम्बे व कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 ई. को हासिल हुई। ब्रिटिश इण्डिया को दो नए स्वतंत्र देशों भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया गया। पाकिस्तान अपना स्वाधीनता दिवस 14 अगस्त को मनाता है वही दूसरी और भारत अपना स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। यह विभाजन मुस्लिम लीग व उनके नेता जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धान्त के आधार पर हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू बने वही पाकिस्तान के राष्ट्र-नायक मुहम्मद अली जिन्ना बने। भारत को राजनैतिक आज़ादी तो प्राप्त हो गई है, मगर आर्थिक व सामाजिक आज़ादी प्राप्त करने में एक लम्बा समय लगा।

इस पाठ में हम निम्नलिखित बिन्दुओं की चर्चा करेंगे जैसे–

- विभाजन के कारण उत्पन्न संकट व समस्याएँ।
- राष्ट्र-निर्माण के सामने आई चुनौतियाँ।
- लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर भारत को स्थापित करने की चुनौती।
- राज्यों का पुनर्गठन करने आई में चुनौतियाँ।

अधिगम उद्देश्य/परिणाम–

(1) विद्यार्थी भारत की आज़ादी के दौरान उपस्थित चुनौतियों को समझ सकेंगे।

(2) भारत के विभाजन की प्रक्रिया को समझेंगे व उससे उपजी समस्याओं को अनुभव कर सकेंगे।

(3) देशी राजे-रजवाड़ों को भारत में विलय करने तथा उस कठिन कार्य में वल्लभभाई पटेल की भूमिका को जानेगें।

(4) राष्ट्र, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी मूलभूत अवधारणाओं से परिचित होंगे।

(5) राज्यों के पुनर्गठन में पुनर्गठन आयोग की भूमिका का अध्ययन करेंगें।

राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

नए राष्ट्र की चुनौतियाँ

भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी एक लम्बे व कठिन संघर्ष के बाद 14-15 अगस्त 1947 ई. को हासिल हुई। ब्रिटिश इण्डिया को दो नए स्वतंत्र देशों भारत व पाकिस्तान के बीच बाँट दिया गया।

'वर्षों पहले हमने भाग्यवधू से एक प्रतिज्ञा की थी और अब वह समय आ रहा है जब हम उस प्रतिज्ञा को समग्र रूप में या पूरी तौर पर न सही, काफी दूर तक पूरा करेंगे। रात के बारह बजे जबकि दुनिया नींद की गोद में होती है, भारत नये जीवन और स्वतंत्रता में प्रवेश करेगा।'

– ये वाक्य जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहे थे। जिसे 'ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी' या 'भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट' के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के समय दो मुद्दों पर आम सहमति थी।

(1) लोकतांत्रिक सरकार हो।

(2) सरकार सभी की भलाई के लिए काम करें। जिसका लाभ गरीब, कमजोर और सबसे पिछड़े वर्ग को अवश्य हो।

तीन चुनौतियाँ

आज़ादी के समय भारत के सामने निम्नलिखित तीन प्रमुख चुनौतियाँ थी–

(1) **राष्ट्र के एकीकरण की समस्या या 565 देशी राजे-रजवाड़ों को भारत में मिलाना–** भारत को एकता के सूत्र में बाँधना तथा एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर भारत को गठित करना था जिसमें विविधता, व क्षेत्रीय पहचान का सम्मान हो। लगभग 565 देशी राजे-रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय करना एक कठिन व जटिल चुनौती थी।

(2) **लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना–**

2.1 सभी नागरिकों को संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारन्टी दी गई।

2.2 सार्वभौमिक मतदान का अधिकार दिया गया अर्थात् प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग व अन्य किसी आधार के भेदभाव के बिना सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली के माध्यम से समान रूप से मतदान का अधिकार प्रदान किया गया।

2.3 भारत ने संसदीय शासन पर आधारित, प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया।

3. **तीव्र गति से आर्थिक विकास करना–**

3.1 भारत को तीव्र गति से आर्थिक विकास करना था। मगर समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ प्राप्त हो।

3.2 सामाजिक रूप से वंचित वर्गों जैसे–गरीब व पिछड़े वर्गों को इसका लाभ अवश्य प्राप्त हो।

3.3 धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

3.4 इसके अलावा भारत के सम्मुख कुछ और समस्याएँ भी थी। जैसे–छुआछूत, साम्प्रदायिक दंगे, जातिवाद, गरीबी, कर्ज़ के निपटारे की समस्या, आर्थिक असमानता, लोकतंत्र को कायम करना, कृषि का पिछड़ापन, सम्पदा व वस्तुओं के बंटवारें जैसी समस्याएँ व्याप्त थी। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया।

लेखक जिन्होंने भारत विभाजन के बारे में लिखा–

साहित्यकारों ने कहानियों, कविताओं, उपन्यासों के माध्यम से विभाजन के समय का मार्मिक चित्रण पेश किया। उन्होंने विस्थापन, हिंसा, साम्प्रदायिक दंगों जैसी समस्याओं तथा लोगों के जीवन पर इनके कारण पड़े प्रभावों का जीवन्त

चित्रण पेश किया। उदाहरणतयः–

(1) फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी लेखक थे जिन्होंने **'सुबह-ए-आज़ादी'** नामक कविता लिखी।

(2) अमृता प्रीतम ने कविता **'वारिस शाह से!'** लिखी।

(3) भीष्म साहनी ने **'तमस'** नामक उपन्यास की रचना की।

(4) **'गर्म हवा'** व गदर-एक प्रेम कथा विभाजन के समय पर आधारित फिल्में है।

विभाजन : विस्थापन और पुनर्वास

14-15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इण्डिया को भारत तथा पाकिस्तान के रूप में विभाजित कर दिया गया। विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट न होने के कारण 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि तक भी लोगों को यह पता नहीं था कि वह भारत में हैं या पाकिस्तान में।

द्वि-राष्ट्र सिद्धांत–इस सिद्धान्त के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि 'हिन्दू' और 'मुसलमान' नाम की दो कौमों का देश है। इसी कारण मुस्लिम लीग व उनके नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की माँग की। यह सिद्धान्त ही 1947 ई. में ब्रिटिश इण्डिया को दो देशों में बाँटने का आधार बना।

विभाजन की प्रक्रिया–

ब्रिटिश इण्डिया–ब्रिटिश इण्डिया दो हिस्सों के रूप में था।

(1) ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रान्त जिन पर अंग्रेजों का सीधा नियन्त्रण था।

(2) रजवाड़े जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता या सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। तथा यह घरेलू मामलों में स्वतंत्र थे।

ब्रिटिश इण्डिया

1. भारत	2. पाकिस्तान	3. **565 देशी रियासतें (तीन विकल्प)**
पूर्वी पाकिस्तान	**पश्चिमी पाकिस्तान**	1. भारत में शामिल हो जाए।
(1947-1971 तक)	वर्तमान पाकिस्तान	2. पाकिस्तान में शामिल हो जाए।
1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद यह **'बांग्लादेश'** नाम से एक स्वतंत्र देश बना।		3. अपना अलग स्वतंत्र देश बना ले।

1. ब्रिटिश इण्डिया को दो नए स्वतंत्र देशों भारत व पाकिस्तान के बीच बाँट दिया जाएगा। धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया। जिन इलाकों में मुसलमान अधिक संख्या में थे, उसे पाकिस्तान को दिया गया तथा बाकि बचे क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया। इस प्रकार पाकिस्तान दो भौगोलिक क्षेत्रों पूर्वी पाकिस्तान व पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया। इन दोनों के बीच भारत का एक विशाल क्षेत्र था।
2. खान अब्दुल गफ्फार खान ने 'द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त' के आधार पर किए गए विभाजन को गलत माना।

3. बंगाल तथा पंजाब का विभाजन दोनों देशों के बीच हुआ, मगर आज़ादी के दिन तक भी लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में।

4. **अल्पसंख्यक**–दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की भारी संख्या थी। जैसे पाकिस्तान में कई इलाकों में हिन्दू व सिक्ख आबादी काफी थी। दिल्ली के आस-पास के इलाके में मुसलिमों की संख्या अधिक थी। उन्हें अपने भविष्य को लेकर खतरा महसूस होने लगा। वह अपने ही लोगों के बीच विदेशी बन गए तथा उनमें से बहुतों को अपना घर, व्यापार, सामान, जमीन व जड़ों को छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ा।

विभाजन के परिणाम–

1. **स्थानांतरण**–आज़ादी के समय लोगों को आकस्मिक व अनियोजित तरीके से स्थानांतरित होना पड़ा। यह इतिहास के सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था।
2. लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था बेघर और बेठिकाना होकर महीनों और कभी-कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में अभाव व मजबूरी की जिंदगी गुज़ारना था। शरणार्थियों का पुनर्वास करना तथा उनके जीवन को मुख्यधारा में लाना भी सरकार के लिए एक विकट समस्या थी।
3. विभाजन के दौरान लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़कर को सीमा पार जाना पड़ा।
4. 5 से 10 लाख लोगों को हिंसक घटनाओं में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा।
5. स्थानांतरण की इस प्रक्रिया में बहुत से बच्चे अपने माता-पिता से बिछुड़ गये।
6. हजारों महिलाओं को अगवा किया गया तथा अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया गया। कुछ परिवारों ने अपने कुल की मान-मर्यादा को कायम रखने के नाम पर खुद ही अपनी बहू-बेटियों को मार डाला।
7. सामानों और सम्पत्ति का भी बँटवारा हुआ जैसे-टेबुल, कुर्सी, टाईपराटर आदि का भी बँटवारा हुआ।
8. धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे-मुसलमान, सिक्ख, ईसाई के साथ बराबरी का व्यवहार करने के लिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के मुद्दे पर अधिकांश नेता सहमत थे।

मेहमाननवाजी में कसर– दंगाइयों ने ट्रेनों को रोककर विरोधी धर्म के लोगों की हत्या कर दी। तथा अन्य लोगों को हलवा, दूध तथा फल खाने के लिए दिए तथा यह कहा कि हमें आपके आने की सूचना समय पर न मिल सकी इसलिए हम आपका स्वागत सही ढंग से नहीं कर सके।

महात्मा गाँधी की शहादत

शान्ति के अग्रदूत, अहिंसा प्रेमी, धार्मिक सद्भाव का संदेश देने वाले महात्मा गाँधी जी ने इस विषम माहौल में दोनों कौमों के बीच में शान्ति व सद्भाव कायम करने का भरसक प्रयास किया। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा गाँधी जी की हत्या के बाद अचानक साम्प्रदायिकता व हिंसा में भारी कमी देखी गई।

रजवाड़ों का विलय

रजवाड़े वह शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता या सर्वोच्च सत्ता संधियों के रूप स्वीकार कर ली थी। तथा उनके बाहरी व विदेश मामलों को अंग्रेज देखते थे तथा वह अपने राज्य के घरेलू व आन्तरिक मामलों को देखने के लिए

स्वतंत्र थे। आज़ादी के बाद उनका भाग्य अंग्रेजों ने उनके हाथ ही छोड़ दिया। वह चाहे तो स्वतंत्र रह सकते थे या दोनों देशों में से किसी एक देश में विलय कर सकते थे।

समस्या

भारत के आज़ादी के बाद लगभग 565 देशी राजे-रजवाड़ों का भारत में विलय करना एक बड़ी समस्या थी। जहाँ एक और भारत ने शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा था वही दूसरी ओर रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए भी तैयार नहीं थे। देशी रजवाड़ों को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए?, यह एक विकट समस्या थी जिसका भारत को एक नवउदित लोकतांत्रिक देश के तौर पर सामना करना पड़ रहा था। भारत की एकता, अखण्डता व सुरक्षा को कायम रखने के लिए तथा भारत को एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर सफल बनाने के लिए इन छोटे-बड़े सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल करना आवश्यक था।

1. अधिकांश रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे।
2. भारत सरकार का रूख लचीला था वह कुछ रजवाड़ों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थे जैसे -जम्मू-कश्मीर।
3. भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र पर देशी राजे-रजवाड़ों द्वारा हस्ताक्षर किया गया इस सहमति पत्र को ही 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' के नाम से जाना जाता है।

देशी राजे-रजवाड़ों जिन्हें भारतीय संघ में विलय करना अन्य रियासतों की तुलना में कठिन साबित हुआ। उनमें 1. हैदराबाद 2. मणिपुर 3. जम्मू-कश्मीर 4. जूनागढ़ प्रमुख थे।

हैदराबाद

हैदराबाद, भारत के आज़ादी के समय एक बहुत बड़ी रियासत थी। इसके शासक को 'निज़ाम' के नाम से पुकारा जाता था। तेलंगाना के किसानों ने निज़ाम के खिलाफ आन्दोलन कर दिया। निज़ाम ने विरोध को दबाने के लिए रज़ाकार नामक अर्धसैनिक बल को भेजा जिसने लूटपाट, हत्या व बलात्कार जैसे अनैतिक कार्य करने प्रारम्भ कर दिए। मजबूरन भारतीय सेना को सितंबर 1948 में हस्तक्षेप करना पड़ा जिसके कारण निज़ाम की सेना ने पराजय स्वीकार कर ली तथा आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात् हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया।

मणिपुर

मणिपुर के महाराजा बोधचन्द्र सिंह ने जनमत के दबाव में जून 1948 में चुनाव करवाए इस प्रकार मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मणिपुर, भारत का पहला क्षेत्र था जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली के तहत चुनाव हुआ। भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करे। महाराजा ने विलय पत्र पर बिना मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा की सलाह लिए ही हस्ताक्षर कर दिए।

राज्यों का पुनर्गठन

1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मान लिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होगी।

आन्ध्र प्रदेश का गठन

एक गाँधी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने भाषा के आधार पर आन्ध्र प्रदेश नाम से एक राज्य की माँग रखी तथा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद अव्यवस्था का माहौल व्याप्त हो गया। हिंसक घटनाएँ बढ़ी। दिसम्बर 1952 में आन्ध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य के गठन की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कर दी।

आन्ध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की माँग जोर पकड़ने लगी। इस समस्या के हल के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 1953 में की गई। इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना था। तथा इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी जिसमें आयोग ने यह स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की दी गई सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य व 6 केन्द्र शासित प्रदेश बनाए गए।

आज़ादी के बाद प्रारम्भिक वर्षों में यह एक बड़ी चिन्ता का विषय था कि अलग राज्य की माँग से देश की एकता पर आँच आएगी। तथा आशंका थी नए भाषाई आधार पर राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी। मगर यह आशकाएँ गलत साबित हुई, इसके विपरीत देश की एकता और अधिक मज़बूत हुई।

पाठगत अवधारणाएँ

1. **राष्ट्र**–'राष्ट्र' एक व्यापक अर्थ में एक **'कल्पित समुदाय'** होता है जो सामान्यतयः सर्वसामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षाओं और कल्पनाओं से एकसूत्र में बंधा होता है।
2. **राष्ट्रवाद**–एक क्षेत्र विशेष के लोगों के बीच भावनात्मक तौर पर जुड़ाव तथा अपनेपन की गहरी भावना राष्ट्रवाद का निर्माण करती है। जिससे वह एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं।
3. **राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ**–भारत को एक नवोदित लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी एकता, अखण्डता व लोकतांत्रिक चरित्र को कायम रखने की चुनौतियाँ।

उदाहरणतयः

3.1. राष्ट्र के एकीकरण की समस्या या 565 देशी राजे-रजवाड़े को भारत में मिलाना।

3.2. लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना।

3.3. तीव्र गति से आर्थिक व सामाजिक विकास करना। तथा इस विकास का लाभ सबसे गरीब और पिछड़े व्यक्ति को भी मिल सके।

3.4. **लोकतंत्र**–अब्राहिम लिंकन के अनुसार "लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, व जनता के द्वारा शासन है।"

3.5. **द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त**–इस सिद्धान्त के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि **'हिन्दू'** और **'मुसलमान'** नाम की दो कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग व उनके नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की माँग की। यह सिद्धान्त ही 1947 ई. में ब्रिटिश इण्डिया के दो देशों में बंटने का आधार बना।

6. **अल्पसंख्यक**–किसी क्षेत्र विशेष में भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि के आधार कम संख्या में रहने लोगों को अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख,पारसी अल्पसंख्यक है।

7. **विस्थापन**–लोगों को उनके रहने के स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बसाना किया जाना।

   उदाहरण–विभाजन के समय पाकिस्तान से हिन्दुओं व सिक्खों को विस्थापित किया गया।

8. **देशी राजे-रजवाड़े**–रजवाड़ों पर भारतीय शासकों का शासन होता था। इन शासकों ने ब्रिटिश-राज की अधीनता या सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लिया था। यह शासक अपने राज्य के घरेलू या आन्तरिक मामलों पर स्वयं शासन चलाते थे। भारत की आज़ादी के समय इनकी संख्या लगभग 565 थी।

9. **'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन'**–भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र पर देशी राजे-रजवाड़ों द्वारा हस्ताक्षर किया गया इस सहमति पत्र को ही 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' के नाम से जाना जाता है।

10. **रज़ाकार**–रज़ाकार एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है-स्वयंसेवक (Volunteer) । मगर यहाँ इसका अभिप्राय हैदराबाद के शासक जिसे 'निज़ाम' के नाम से पुकारा जाता था उनके अर्द्धसैनिक बल से हैं।

11. **सार्वभौम व्यस्क मताधिकार**–सभी वयस्क स्त्री व पुरूष नागरिक को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद जाति, धर्म, लिंग, वर्ग इत्यादि के भेदभाव के समान रूप से वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाना है। सार्वभौम व्यस्क मताधिकार कहा जाता है। भारत में वर्तमान में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

प्रस्तावित/सुझावित क्रियाकलाप

1. विद्यार्थियों को विभाजन के बारे में अपने दादा-दादी, नाना-नानी व पड़ोस के वृद्धों से जानकारी इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया जाए।
2. विभाजन के समय घटी घटनाओं पर चर्चा करवाई जाएँगी।

***संवर्द्धित मूल्य*–**

इस अध्याय के अध्ययन के उपरान्त विद्यार्थियों में निम्न मूल्य विकसित हो सकेंगे-

1. लोकतंत्र तथा मानवीय मूल्यों का सुदृढ़ीकरण।
2. पारस्परिक सद्भाव व अहिंसा की स्वीकार्यता।
3. सार्वजनिक हित।

***महत्वपूर्ण प्रश्न*–**

प्रश्न 1. भारत में देश के विभाजन में कौन से दो प्रान्तों का भी बँटवारा किया गया? (1 अंक)

प्रश्न 2. 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' से क्या अभिप्राय है? (1 अंक)

प्रश्न 3. पण्डित नेहरू ने 'ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी' अथवा 'भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट' कब तथा कहाँ दिया था? (1 अंक)

प्रश्न 4. स्वतंत्रता के समय भारत में किन दो मुद्दों पर आम सहमति थी? (2 अंक)

प्रश्न 5. भारत की स्वतंत्रता के समय, देश के समक्ष आई किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। (2 अंक)

प्रश्न 6. कराची में 11 अगस्त 1947 को मुहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : (5 अंक)

''हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक- दोनों ही समुदायों में तरह-तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बँटे हैं तो हिन्दू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में......। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मन्दिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजास्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना-देना नहीं है।''

(अ) क्या आप समझते हैं कि जिन्ना का वक्तव्य उस सिद्धान्त के विरूद्ध है जिसके अनुसार पाकिस्तान का जन्म हुआ? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। (1 अंक)

(ब) इस लेखांश में जिन्ना के वक्तव्य का क्या सार है? (2 अंक)

(स) इस लेखांश में पाकिस्तान, किस सीमा तक जिन्ना की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है? (2 अंक)

7. (अ) यह कार्टून क्या दर्शाता है? (1 अंक)

(ब) राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? (2 अंक)

(स) राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? (2 अंक)

8. 1947 में हुए भारत के विभाजन के किन्हीं दो कारणों का आकलन कीजिए। इस विभाजन के किन्हीं चार परिणामों की व्याख्या कीजिए। (6 अंक)

पाठ-3

विकास

विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके परिणास्वरूप मानव के जीवन में लगातार बदलाव आता रहता है। आदि मानव से अंतरिक्ष युग तक का मानवीय सफर विकास का ही प्रतिफल है। लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में विकास पर बौद्धिक चर्चा तथा सिद्धान्त निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् ही शुरू हुआ। जब विकास और अल्पविकास पर सिद्धान्त पेश किये जाने लगे। 18 वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ताकतों द्वारा एशिया और अफ्रीका तथा दुनिया के अन्य भागों में विशाल साम्राज्यों की स्थापना की गई। साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा उपनिवेशों का निर्दयता से शोषण किया गया, तथा वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया गया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश गरीबी, भुखमरी और पिछड़ेपन के पर्याय बनकर रह गये। विकास इन देशों के लिये जीवन और मरण का प्रश्न बन गया। अपने संकीर्ण अर्थ में विकास को केवल आर्थिक विकास से जोड़कर देखा जाता है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, औद्योगीकरण, कृषि के आधुनिकीकरण को ही विकास मान लिया जाता है। लेकिन विकास एक बहुआयामी अवधारणा है इसके आर्थिक के अलावा राजनीतिक और सामाजिक आयाम भी होते हैं। कुछ विचारक तो राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की पूर्वशर्त भी मानते हैं। वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास एक दूसरे के कारण और परिणाम दोनों ही है।

प्रत्येक समाज और देश विकास करना चाहता है, लेकिन विकास का कौन सा प्रतिमान (मॉडल) अपनाया जाए यह हमेशा से विवाद का विषय रहा हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व में आर्थिक विकास के मुख्य रूप से दो प्रतिमान (मॉडल) प्रचलित थे–पूँजीवाद और समाजवाद मॉडल। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् विश्व भर में उदारीकरण और वैश्वीकरण की लहर चल पड़ी जो कि पूँजीवादी विचारधारा का विस्तार है। लेकिन विकास के इस मॉडल के अन्तर्विरोध (Contradictions) भी सामने आने लगे हैं। वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ भारत सहित दुनिया के कई देशों में जन आन्दोलन मुखर होने लगे हैं। विकास के परम्परागत मानकों राष्ट्रीय आय, प्रतिव्यक्ति आय, उत्पादकता, औद्योगीकरण आदि के साथ-साथ मानव विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा विकास के वैकल्पिक सिद्धान्त भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनके द्वारा मानव विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सके। विकास की अवधारणा, इसके प्रमुख प्रतिमान, विकास विविध आयाम (पक्ष) तथा विकास की वैकल्पिक अवधारणा पर हम आगे विस्तारपूर्वक चर्चा करेगें।

अधिगम उद्देश्य–

इस पाठ को पढ़ने के पश्चात् हम–

– विकास की संकल्पना (अवधारणा) को बेहतर ढंग से समझ सकेगें।

– विकास की पूँजीवादी और समाजवादी अवधारणा को समझ सकेगें।

– विकास के विविध आयामों (पक्षों) सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक को स्पष्ट कर सकेगें।

– विकास के वैकल्पिक मॉडल की आवश्यकता को समझ सकेंगे।

विकास की अवधारणा (Concapt of Development) हम यह स्पष्ट कर चुके है कि विकास से अभिप्राय केवल आर्थिक विकास नहीं है बल्कि इसके सामाजिक और राजनीतिक पक्ष भी होते हैं। इसलिये विकास की एक व्यापक परिभाषा देना आवश्यक हो जाता है जिसमें इसके सभी पक्ष समाहित हो। विश्व बैंक रिपोर्ट-2000 में कहा गया है कि, विकास का अर्थ है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, उनकी क्षमताओं का विस्तार करना ताकि वे अपने भविष्य का निर्माण कर सके। इसके लिये उच्च प्रतिव्यक्ति आय के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार के समान अवसर, लैंगिक समानता तथा बेहतर स्वास्थ्य और पोषण आवश्यक है। इस प्रकार विश्व बैंक द्वारा दी गई विकास की परिभाषा में विकास के सामाजिक और आर्थिक पक्ष उजागर होते हैं। अपने व्यापक अर्थ में विकास शब्द उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक है। जब हम बेहतर जीवन की बात करते है तो वह तभी संभव है जब मनुष्य के लिये अनुकूल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ हो। बेहतर जीवन के लिये जहाँ एक और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवार्य है वही शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ सरकार द्वारा लोगों के अधिकारों का सम्मान भी आवश्यक है। इसके साथ-साथ विकास की प्राथमिकतायें तय करने में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इस प्रकार जन सहभागिता और लोकतंत्रीकरण भी विकास के लिये आवश्यक है।

विकास का एकमार्गी दृष्टिकोण–इस दृष्टिकोण को मानने वालों का कहना था कि विकास का केवल एक मार्ग है सभी राष्ट्र विकास के इस मार्ग पर भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हैं। दूसरे शब्दों में पश्चिमी विकसित देश इसमें आगे हैं तथा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं। इसमें विकसित राष्ट्रों को एक आदर्श के रूप में पेश किया गया। इस दृष्टिकोण के कारण पश्चिमी विकास के मॉडलों को तृतीय विश्व के देशों में लागू किया गया, जो कि अधिकतर देशों में असफल रहे।

विकास का बहुमार्गी दृष्टिकोण–यह दृष्टिकोण मानता है कि विकास बहुआयामी होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों से विकास के उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित होते हैं। और इसी से विकास की दिशा निर्धारित होती है।

विकास के उद्देश्य–विकास के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं,

(i) लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना

(ii) शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना

(iii) रोजगार के समान अवसर प्रदान करना

(iv) जन सहभागिता और लोकतंत्र को बढ़ावा देना तथा लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना।

विकास के प्रतिमान (मॉडल)–

(क) **उदारवादी पूँजीवादी मॉडल**–यह मॉडल निजीकरण का समर्थन करता है तथा आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की मनाही करता है। यह चाहता है कि अर्थव्यवस्था बाजार ताकतों, अर्थात् माँग और पूर्ति द्वारा संचालित होनी चाहिये न कि राज्य के नियमों और कानूनों द्वारा। कालान्तर में पूँजीवादी मॉडल में कुछ बदलाव

आ गये तथा राज्य की कल्याणकारी भूमिका को स्वीकार किया जाने लगा। पूँजीवादी देशों में महामंदी (1929-33) के पश्चात् कीन्स के सिद्धान्त के अनुरूप राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाने लगा।

(ख) **विकास का समाजवादी मॉडल**—विकास का यह मॉडल कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों पर आधारित है। समाजवादी मॉडल उत्पादन व वितरण के समस्त साधनों पर राज्य के नियंत्रण का पक्षधर है। यह भूतपूर्व सोवियत संघ की तर्ज पर आर्थिक विकास के लिये केन्द्रीकृत नियोजन (Centralised Planning) को आवश्यक मानता है।

(ग) **मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल**—भारत सहित कई विकासशील देशों द्वारा पूँजीवादी और समाजवादी मॉडल का मिश्रित रूप अपनाया जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को स्वीकार किया गया तथा विकास में राज्य की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की गई।

(घ) **विकास का गाँधीवादी मॉडल**—गाँधीवादी मॉडल आर्थिक संसाधनों के विकेन्द्रीकरण, श्रमप्रधान, कुटीर उद्योग तथा पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल विकास पर जोर देता है।

विकास के विविध आयाम या पक्ष–

(i) सामाजिक विकास–शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, लैंगिक समानता सामाजिक कुप्रथाओं व भेदभाव की समाप्ति अर्थात सामाजिक समानता सामाजिक विकास के सूचक हैं।

(ii) आर्थिक विकास–राष्ट्रीय आय व प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि, औद्योगीकरण अर्थात् उत्पादन की प्रणालियों का आधुनिकीकरण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा आर्थिक असमानता और गरीबी का उन्मूलन आदि आर्थिक विकास के सूचक है।

(iii) राजनीतिक विकास–राजनीतिक विकास की कोई एक स्पष्ट पहचान मुश्किल है। इसे प्रशासकीय और वैधानिक विकास के रूप में व्यक्त किया जाता है। लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक 'Aspects of Political Development' में राजनीतिक विकास की निम्न तीन विशेषतायें बताई हैं।

समानता (Equality)–सभी के लिये समान कानून, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के समान अवसर तथा सार्वजनिक मामलों में समान भागीदारी।

क्षमता (Capacity)–सरकार की आवश्यक कार्यों को करने की क्षमता तथा अपने नियमों-कानूनों व नीतियों को कार्यान्वित करने की क्षमता।

विभेदीकरण (Differentiaton)–समाज राज्य व सरकार के विभिन्न अंगों, पदों, विभागों के कार्य व शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन।

विकास की चुनौतियाँ–द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् नव स्वतंत्र देशों में विकास के जो मॉडल अपनाये गये थे उनसे यह अपेक्षा थी कि वे गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान करेगें। लेकिन विकास के मॉडल असफल सिद्ध हुये। भारत में भी नियोजित विकास के अन्तर्गत औसत विकास की दर 1980 के दशक तक 3.5 से 4 प्रतिशत तक ही रही जिसके कारण हम गरीबी उन्मूलन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी पीछे रह गये। आज भी हमारे देश में लगभग 30 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। विकास का लाभ समाज के निम्नतम् वर्ग तक नहीं पहुँच पाया। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाने के पश्चात् विकास की गति

तो तेज हो गयी लेकिन विकास का लाभ कुछ वर्गों और कुछ शहरी क्षेत्रों तक सिमटकर रह गया। किसान कर्ज में डूबे व आत्महत्या करने पर मजबूर है तथा सिंचाई सुविधाओं के अभाव में कृषि क्षेत्र आज भी वर्षा पर निर्भर है। यही कारण है कि विगत कुछ वर्षों में विकास के मॉडल की कटु आलोचना हो रही है इस पर पुनर्विचार शुरू हो गया है।

विकास के मॉडल की आलोचना

विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी—वास्तविक विकास वह है जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन बेहतर हो। समाज के एक वर्ग का विकास दूसरे वर्ग के लिये बर्बादी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी अनेक परियोजनायें बिना स्थानीय लोगों से विचार-विमर्श के लागू कर दी जाती है जिससे लाखों लोगों को अपने घर, खेत व खलियान से विस्थापित होना पड़ता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना, टिहरी परियोजना

इसके कुछ उदाहरण है। जिसके कारण लाखों लोग विस्थापित हो गये, विशेषकर मूलवासी (आदिवासी)।

विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी—विकास के प्रचलित मॉडल से पर्यावरण को भारी क्षति पहुँची है। दुनियाभर में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है जिसके कारण भूताप में वृद्धि हुई है। जंगलों के कटाव तथा वायु और जल प्रदूषण से मानव के स्वयं के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। नदियाँ नालों में तब्दील होती जा रही है।

विकास की वैकल्पिक अवधारणा–विश्व भर में बुद्धि-जीवी अब इस बात पर सहमत हैं कि विकास की प्रचालित अवधारणा में कुछ नैसर्गिक कमियाँ हैं। विकास को मापने के भी नये तरीके ढूढ़े जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) द्वारा मानव विकास सूचकांक (H D I) में विकास के तीन सूचक बताए हैं।

– जीने का समुचित स्तर (Deicent Standard of Living)

– ज्ञान व साक्षरता स्तर (Knowledge)

– दीर्घायु (Longevity)

इस प्रकार प्रतिव्यक्ति आय के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक संकेतकों को भी विकास का स्तर मापने का आधार मानता है।

टिकाऊ विकास– विकास की वैकल्पिक अवधारणा के अर्न्तगत इस बात पर भी जोर दिया गया है। कि विकास ऐसा हो कि जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को तो पूरा करें लेकिन आने वाली पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखें, अर्थात् वर्तमान पीढ़ी का विकास आने वाली पीढ़ियों की कीमत पर नहीं होना चाहिऐ। यदि हमारी पिछली पीढ़ी को स्वच्छ और निर्मल नदी मिली है तो अगली पीढ़ी को भी वह उसी रूप में मिलनी चाहिए न कि नालों में तब्दील होकर। बर्टलैंड आयोग 1987 ने टिकाऊ विकास की अवधारणा को प्रचलित किया। टिकाऊ वास्तव में पर्यावरण के अनुरूप विकास है।

जन सहभागिता– विकास सम्बन्धी निर्णयों में लोगों की सहभागिता होनी चाहिये। लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे सलाह ली जानी चाहिये। जल, जमीन और जंगल के लिये चल रहे संघर्षो का लोकतांत्रिक तरीके से समाधान ढूँढ़ा जाना चाहिये। सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये ताकि विकास सम्बन्धी ज्यादा से ज्यादा निर्णय स्थानीय स्तर पर लिये जा सके।

विकास से अभिप्राय बेहतर जीवन प्रदान करने से है। संसाधनों का न्यायपूर्ण, वितरण, पर्यावरण के अनुरूप अर्थात् टिकाऊ विकास, और जन सहभागिता व लोकतंत्र विकास की वैकल्पिक अवधारणा के प्रमुख घटक हैं।

पाठगत अवधारणाएँ

विकास–उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सकारात्मक बदलाव।

आधुनिकीकरण—आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिकरण व आधुनिक तकनीक का प्रयोग, सामाजिक क्षेत्र में जन सहभागिता और लोकतंत्रीकरण, आधुनिकीकरण के प्रतीक हैं।

तृतीय विश्व के देश—निम्न प्रतिव्यक्ति आय वाले देशों को तृतीय विश्व के देश कहा जाता है। इस वर्ग में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आते हैं।

प्रथम विश्व—अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा नाटो के सदस्य देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है।

द्वितीय विश्व—पूर्व सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के वे देश जहाँ पहले साम्यवादी व्यवस्था प्रचलित थी।

महामन्दी (1929-33)—विश्व व्यापी आर्थिक मंदी जिसकी शुरूआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई तथा जल्दी ही यह पूरे विश्व में फैल गयी।

संवर्धित मूल्य—इस पाठ को पढ़ने से छात्रों में गरीबी और पिछड़ेपन के प्रति संवेदना का विकास किया जा सकेगा और वे ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात कर पायेंगे जो सामाजिक बदलाव और आर्थिक उन्नति के लिये अनिवार्य है।

क्रियाकलाप—समाचार पत्र व पत्रिकाओं तथा इंटरनेट के माध्यम से केन्द्र या किसी एक राज्य सरकार की किसी एक विकास योजना के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिऐ। उसके द्वारा होने वाले लाभ और हानि का आंकड़ों के माध्यम से आंकलन कीजिए।

मूल्यांकन–

प्र.1. विकास को परिभाषित कीजिए।

प्र.2. आर्थिक विकास को कैसे मापा जाता है?

प्र.3. गाँधीवादी विकास के मॉडल की कोई दो विशेषताएँ लिखिए। ½×2=1

प्र.4. समाजवादी विकास मॉडल की दो प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। 2

प्र.5. विकास के चार प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ½×4=2

प्र.6. विकास के समाजवादी और पूँजीवादी मॉडल में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 4

प्र.7. उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार समाज को विकास की भारी कीमत चुकानी पड़ती है? 5

प्र.8. विकास की वैकल्पिक अवधारणा का वर्णन कीजिए। विकास की प्रचलित अवधारणा से पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुँची है? 6

पाठ-4

नियोजित विकास की राजनीति

स्वतंत्र भारत के राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती गरीबी दूर करने की थी। लगभग दो सौ वर्षों के औपनिवेशिक शासन के कारण भारत की जनता और यहाँ के संसाधनों का इतना शोषण हुआ कि आजादी के समय भारत की गिनती दुनिया के अत्यधिक पिछड़े देशों में होने लगी। भारत के नीति निर्धारकों व संविधान निर्माताओं में उस समय प्रचलित वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों विचारधाराओं के लोग थे इसके अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग गाँधीवादी विकास की धारणा को लागू करने का पक्षधर भी था। वैचारिक मतभेद के बावजूद राजनीतिक नेतृत्व में कुछ बातों पर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से ही सहमति थी, जैसे सभी इस बात से सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक-आर्थिक न्याय दोनों ही है। आज़ादी के आन्दोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वितरण में सरकार की निर्णायक भूमिका होगी। हमारा संविधान भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत राज्य को अनेक ऐसे निर्देश देता है जो सामाजिक-आर्थिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने के लिये आवश्यक है। 1950 के दशक में विश्व में मुख्य रूप से विकास के दो मॉडल प्रचलित थे-उदारवादी पूँजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। उदारवादी पूँजीवादी मॉडल मूलरूप से अहस्तक्षेपी राज्य और निजी क्षेत्र का समर्थक है लेकिन पूँजीवादी देशों में भी महामंदी (1929-33) के पश्चात् यह आम राय थी कि अर्थव्यवस्था को केवल बाजार की ताकतों पर नहीं छोड़ा जा सकता अर्थात् आवश्यकता पड़ने पर राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। दूसरी तरफ समाजवादी मॉडल अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण का पक्षधर था। भारत में इन दोनों मॉडलों के मिश्रण को 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' के रूप में अपनाया गया।

सोवियत संघ के त्वरित व समयबद्ध विकास से प्रेरित होकर भारत में—नियोजित आर्थिक विकास की नीति को अपनाया गया।

अधिगम परिणाम–

इस पाठ को पढ़ने के पश्चात् हम–

- द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व में प्रचलित प्रमुख विकास मॉडलों से अवगत होंगें।
- आर्थिक विकास के वाम पंथी और दक्षिण पंथी विचार को समझ सकेंगें।
- भारत में नियोजित विकास की पृष्ठभूमि से अवगत होंगें।
- भारत में आर्थिक विकास से जुड़े प्रमुख विवादों को समझकर उनका समाधान सुझा सकेंगे।

अवधारणा मानचित्र (Concept Map)

नियोजित आर्थिक विकास से अभिप्राय विकास की ऐसी प्रक्रिया और रणनीति से है जिसमें देश अपने भौतिक और

मानवीय संसाधनों का आंकलन कर विकास के कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उन्हें सीमित समय (पंचवर्षीय योजना) में प्राप्त करने का प्रयास करता है। नियोजित आर्थिक विकास की अवधारणा सोवियत संघ से ली गयी, भारत का राजनीतिक नेतृत्व विशेषकर नेहरू सोवियत संघ के नियोजित आर्थिक विकास से अत्यधिक प्रभावित थे क्योंकि एक तो नेहरू का झुकाव समाजवादी विचारधारा की और था दूसरा महामंदी के कारण जहाँ पूँजीवादी अर्थव्यवस्थायें 1930 और 1940 के दशक भारी कठिनाइयों व चुनौतियों से जूझ रही थी वही दूसरी और सोवियत संघ उस दौर में भी शानदार आर्थिक प्रगति कर रहा था।

नियोजित आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है निजी क्षेत्र पर कई तरह के नियंत्रण लगाये गये तथा महत्त्वपूर्ण उद्योग और सेवायें सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत विकसित की गयी।

भारत में नियोजित आर्थिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–

- 1931 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने अपने करांची अधिवेशन में भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की माँग की। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में राज्य की सक्रिय भूमिका की पक्षधर थी।
- महामंदी (1929–33) में पूँजीवादी अर्थव्यवस्थायें तहस नहस हो गयी। इस काल में सोवियत संघ द्वारा दर्ज की गयी तीव्र प्रगति से नियोजित आर्थिक विकास के प्रति आकर्षण बढ़ गया।
- 1934 में सर एम. विश्वैस्वरया ने एक पुस्तक प्रकाशित की, 'Planned Economy for India' इसमें भारत के लिये नियोजित विकास की वकालत की गयी।
- 1938 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति (National Planning Committe) का गठन किया।
- बॉम्बे योजना (Bombay Plan)–1944– फिक्की (FICCI) के आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान पेश किया। सामान्यतः पूँजीपति नियोजित विकास के विरूद्ध होते हैं लेकिन भारत में पूँजीपति चाहते थे कि सरकार आधारभूत उद्योग और संरचना में स्वयं निवेश करें क्योंकि में उस समय पूँजीपति वर्ग के पास इतनी पूँजी नहीं थी कि वे लौह–इस्पात, रेल, सड़क, बन्दरगाह,संचार जैसे उच्च निवेश वाले क्षेत्रों में पूँजी लगा सके।
- 1944 में ही श्रीमन नारायन ने गाँधी योजना पेश की, जिसमें गाँधीजी के विचारों पर आधारित आर्थिक विकास की योजना पेश की गयी।
- 1945 में समाजवादी क्रान्तिकारी विचारक एम.एन रॉय ने जन योजना (Peoples Plan) पेश किया।
- 1950 में जय प्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना (Sarvodaya Plan) पेश किया।

नियोजित आर्थिक विकास पर लगभग आम सहमति होने के कारण तत्कालीन सरकार के लिये इस विषय में निर्णय लेना आसान हो गया। 15 मार्च 1950 को सरकार के एक आदेश द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गयी। इसकी स्थापना एक सलाहकारी और विशेषज्ञ निकाय के तौर पर की गयी, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में इसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गयी। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं इस कारण से भी आर्थिक नीति निर्माण में योजना आयोग निर्णायक भूमिका निभाने लगी। 2014 में गठित नयी केन्द्र सरकार द्वारा योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)–

- प्रथम पंचवर्षीय योजना के. एन. राज की सलाह पर तैयार की गयी।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी। कृषि क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं पर भारी निवेश किया गया। भाखड़ा नांगल बाँध, हीराकुण्ड बाँध इसी योजनाकाल में बनाये गये।
- भूमि सुधार कानून बनाये गये जिसके अन्तर्गत निम्न कदम उठाये गये।

  (क) जमींदारी उन्मूलन।

  (ख) भूमि पर मालिकाना हक की अधिकतम सीमा तय की गयी।

  (ग) चकबंदी (Consolidation of land loldings)
- प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का 15.1 प्रतिशत कृषि क्षेत्र पर 7.6 प्रतिशत उद्योगों के विकास के लिए निर्धारित किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में 2.1 प्रतिशत GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया लेकिन वास्तव में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना–(1956-61)- द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा एक विशेष संदर्भ में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पी. सी. महालनोविस की सलाह पर तैयार की गयी। यह संदर्भ था, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का अवाडी अधिवेशन 1955 जिसमें पार्टी ने समाजवादी समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य घोषित किया। इसी उद्देश्य के अनुरूप 1956 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इसमें उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया–सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सभी महत्त्वपूर्ण उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत विकसित करने का निर्णय लिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। तर्क दिया गया कि गरीबी दूर करने के लिए विकास की उच्च वृद्धि दर को हासिल करना आवश्यक है तथा यह तीव्र औद्योगीकरण से ही संभव है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का 18.5 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र के लिये सुनिश्चित किया गया जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह मात्र 7.6 प्रतीशत था। योजनाकाल के पाँच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया लेकिन 4.1 प्रतिशत की वृद्धि ही हासिल की जा सकी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में तीन लौह इस्पात कारखाने स्थापित किये गए।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66) में विभिन्न क्षेत्रों के बीच बजट का विभाजन दूसरी पंचवर्षीय योजना के समान ही रहा केवल कृषि क्षेत्र के बजट में कुछ बढ़ोतरी की गयी। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रहे। इसमें 5.6 प्रतिशत विकास की दर का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तव में मात्र 2.7 प्रतिशत ही वृद्धि प्राप्त की जा सकी। 1966 से 1969 तक वार्षिक योजनायें बनायी गयी।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के तीन वर्ष बाद शुरू की गयी।

क्रियाकलाप (ACTIVITY)—पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों को आबंटित बजट का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान समस्याओं का समाधान करने के लिये आप क्या रणनीति अपनाएंगे।

मुख्य विवाद (Key Controversy) भारत में योजनाकारों के समक्ष निम्न विवादों का समाधान करना चुनौतीपूर्ण रहा।

(क) कृषि बनाम उद्योग– प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी किन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के बजाय उद्योगों को प्राथमिकता दी गयी। सरकार का तर्क था कि उद्योगों में भारी निवेश से तेज विकास सम्भव है जबकि कई अन्य जैसे जे.सी.कमारप्पा, चौधरी चरण सिंह का मानना था कि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(ख) निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र–

भारत द्वारा अपनायी गयी मिश्रित अर्थव्यवस्था का वामपंथी और दक्षिण पंथी दोनों आलोचना करने लगे। दक्षिण पंथियों का कहना था कि भारत में योजनागत विकास के अन्तर्गत निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं दी गयी जबकि वामपंथी सरकार की यह कहकर आलोचना कर रहे थे कि सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जितना निवेश करना चाहिये वह नहीं किया है इसके अलावा सरकार ने गैर आकर्षक क्षेत्रों में भारी निवेश करके पूँजीपति वर्ग को मुनाफा कमाने में मदद की है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली बड़ी आबादी भी हमारी विकास की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगी।

नियोजित विकास के परिणाम–यद्यपि हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ आशा के अनुरूप परिणाम देने में असफल रही लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ उपलब्धियाँ निम्न प्रकार से हैं।

(i) कृषि और औद्योगिक विकास की नींव रखी।

(ii) भूमि सुधार के लिये विधायी और नीतिगत कई निर्णय लिये गये।

(iii) उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों जैसे आई. आई. टी., आई. आई. एम. जैसे संस्थानों की स्थापना।

(iv) **हरित क्रान्ति**–हरित क्रान्ति भी सरकार के सक्रिय सहयोग से ही सम्भव हो पायी। सरकार द्वारा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में किसानों को रियायती दरों पर रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधा तथा कृषि उपकरण उपलब्ध कराये गये। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई इसे हरित क्रान्ति का नाम दिया गया। यह एक बड़ा बदलाव था जिससे अमेरिका जैसे देशों पर हमारी खाद्यान्नों की निर्भरता लगभग समाप्त हो गयी।

हरित क्रान्ति के सकारात्मक प्रभाव–

(i) खाद्यान्नों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया।

(ii) किसानों की आय में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन में सहायक।

(iii) नये उन्नत बीजों का विकास।

(iv) सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।

हरित क्रान्ति के नकारात्मक प्रभाव–

(i) हरित क्रान्ति केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तरप्रदेश तक ही सीमित रही देश के अन्य क्षेत्र इनकी तुलना में पिछड़े रह गये। इसने क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म दिया।

(ii) रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ने से भौमजल-प्रदूषित हो गया साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

(iii) सामाजिक-आर्थिक असमानता में बढ़ौतरी हुई क्योंकि इसका लाभ ज़्यादातर सम्पन्न वर्ग के किसानों ने उठाया।

(iv) यह क्रान्ति केवल खाद्यान्नों विशेषकर गेहूँ तक सीमित रही।

क्रियाकलाप–(II)-भारत में कई राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं। फसलों के बर्बाद होने से किसान कर्जे के नीचे दबते जा रहे हैं तथा उनकी आत्महत्या की खबरे भी लगातार समाचारों में आती रहती है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं व इंटरनेट के माध्यम से सूखाग्रस्त राज्यों में कृषि और किसानों की दशा पर आवश्यक जानकारियाँ एकत्रित कीजिए तथा समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाइये।

बदलाव की आवश्यकता

1950 से लेकर 1980 के दशक तक भारत में औसत विकास की दर उसे 3.5 प्रतिशत रही। विकास की निम्न दर के कारण गरीबी उन्मूलन एक सपना बन कर रह गया। 1980 के दशक में विकास की रणनीति बदलने की आवाज मुखर होने लगी। 1991 में जाकर नई आर्थिक नीति के अर्न्तगत सरकार ने नेहरूवादी समाजवाद को अलविदा कर नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनायी। लाइसेन्स और परमिट राज समाप्त करके निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। पंचवर्षीय योजनायें अब भी बन रही है किन्तु अब उनका केन्द्र शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवायें होती है। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्त्व घट रहा है तथा निजी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था में विकास की गति तो तेज हो गयी लेकिन आर्थिक असमानता आज भी एक बड़ी चुनौती है।

पाठगत अवधारणाएँ

नियोजित विकास–संसाधनों के आंकलन के पश्चात् सीमित समय में विकास के लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति

वामपंथी–समाजवादी विचारधारा से प्रेरित, अर्थव्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण के पक्षधर।

दक्षिण पंथी–उदारवादी पूँजीवादी विचारधारा से प्रेरित, निजी क्षेत्र तथा अहस्तक्षेपी राज्य के समर्थकों को दक्षिण पंथी कहा जाता है, राजनीतिक महकमों में परम्परावादियों के लिए भी इसका प्रयोग होता है।

अहस्तक्षेपी राज्य–ऐसा राज्य जो आर्थिक क्षेत्र में बिल्कुल भी हस्तक्षेप न करें। अर्थव्यवस्था को बाजार ताकतों अर्थात् माँग व पूर्ति पर छोड़ दें।

भूमि सुधार–जमीदारी उन्मूलन, लैंड सीलिंग व चकबन्दी कानूनों को सामूहिक रूप से भूमि सुधार के नाम से जाना जाता है।

महामंदी (1929-33)–विश्व व्यापी आर्थिक संकट जिसकी शुरूआत 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई तथा जल्दी ही इसने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया को महामंदी (Great Depression) के नाम से जाना जाता है।

मूल्य संवर्धन–इस पाठ को पढ़ने से छात्रों में अनुशासित रहने, जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने तथा योजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के गुण विकसित होगें।

प्र.1. नियोजित विकास को परिभाषित कीजिए। (1)

प्र.2. योजना आयोग की स्थापना कब हुई? (1)

प्र.3. महामंदी क्या थी? (1)

प्र.4. बाम्बे प्लान की व्याख्या कीजिए। (2)

प्र.5. प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किन अर्थशास्त्रियों की सलाह पर तैयार की गई थी। दोनों में मुख्य अन्तर क्या था? (2)

प्र.6. प्रथम पंचवर्षीय योजना की चार प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (4)

प्र.7. दिये गये............(Bar Graph) के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आबंटन (प्रतिशत में)

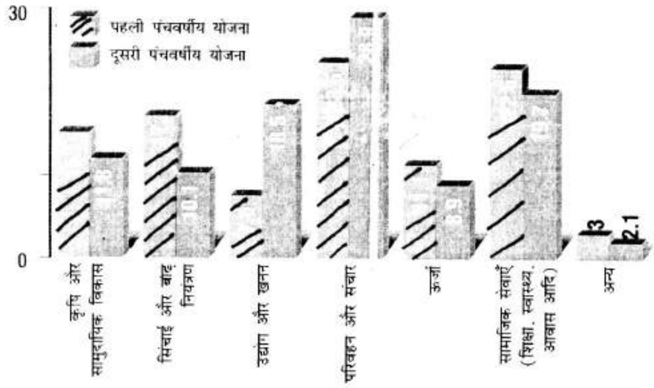

विकास के प्रमुख मद

प्र.7. (i) प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस मद में सर्वाधिक आबंटन किया गया? (1)

प्र.7. (ii) किस क्षेत्र (मद) को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहली योजना की तुलना में दोगुने से भी अधिक बजट आबंटित किया गया? (1)

प्र.7. (iii) बजट आबंटन के आधार पर प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं में अन्तर स्पष्ट कीजिए। (3)

प्र.8. 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में किए गए बदलावों को स्पष्ट कीजिए तथा इसका एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव लिखिए।

पाठ–5

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करने से पहले न्याय की संकल्पना को जानना आवश्यक है। जब से मानव समाज ने सामाजिक जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किया तभी से न्याय समाज को व्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। वास्तव में न्याय की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, किन्तु हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि जो वस्तु वास्तव में कानून, अधिकारों, स्वतंत्रता, बंधुता या सहयोग तथा समानता के मूल भावों को परस्पर जोड़ती है, वही न्याय कहा जा सकता है।

न्याय के अध्ययन के अधिगम परिणाम

1. न्याय के विविध सिद्धान्तों को पहचानने व समझने में सक्षम होंगे।
2. वितरणात्मक न्याय की संकल्पना को समझ सकेंगे।
3. न्याय की प्राचीन भारतीय व पाश्चात्य अवधारणाओं को समझने में सक्षम होंगे।
4. जान रॉल्स के वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का बोध कर सकेंगे।
5. मुक्त बाज़ार बनाम राज्य के हस्तक्षेप में न्याय को स्थापित करना समझ सकेंगे।
6. सामाजिक न्याय की स्थापना में आरक्षण के महत्त्व को समझ सकेंगे।

न्याय शब्द की उत्पत्ति एवं परिभाषा–

न्याय शब्द अंग्रेजी भाषा के जस्टिस (Justice) शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है। जो लैटिन भाषा के **'जस'** (Jus) शब्द से बना है इसका अर्थ है **'बन्धन अथवा बाँधना'**। इस प्रकार न्याय समाज की एक जटिल अवधारणा के रूप में स्थापित हुआ, न्याय को स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने कहा–

कन्फ्यूशस के अनुसार–''गलत करने वालों को दण्डित करना और श्रेष्ठ लोगों को पुरस्कृत करना ही न्याय की स्थापना है''

सालमण्ड के अनुसार–''न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्रदान करना है''

न्याय की अवधारणा का विकास

1. **भारतीय राजनीतिक चिन्तन में न्याय**–प्राचीन भारतीय समाज में न्याय 'धर्म' के साथ जुड़ा हुआ था और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्रथम कर्त्तव्य माना जाता था। प्राचीन भारतीय चिन्तन

की विशेषता यह रही कि भारत में उस काल में ही न्याय की उस कानूनी धारणा को स्वीकार किया जो पाश्चात्य दार्शनिकों ने आधुनिक काल में दी है मनु, बृहस्पति, शुक्र, सोमदेव व कौटिल्य ऐसे ही चिन्तक थे।

2. पाश्चात्य चिन्तन में न्याय–ईसा पूर्व चौथी सदी के एथेंस (यूनान) में प्लेटो ने अपनी पुस्तक ''द रिपब्लिक'' में सुकरात की द्वन्द्वात्मक पद्धति की चर्चा करते हुए न्याय की स्थापना के कुछ तर्क स्थापित किये।

प्लेटो के अनुसार यूनान में न्याय की मुख्य तीन अवधारणाए विद्यमान थीं। एक बार सुकरात ने अपने शिष्यों से पूछा कि हमारा न्याय से क्या सरोकार होना चाहिए तो उनके उत्तर इस प्रकार थे–

न्याय के सिद्धान्त	प्रतिपादक	प्रतिपादित विषय
1. परम्परावादी सिद्धान्त	सिफलस तथा पोलिमार्कस	अपना कर्ज चुकाना तथा शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता न्याय है।
2. उग्रवादी सिद्धान्त	थ्रेसीमेकस	शक्तिशाली का हित न्याय है।
3. अनुभववादी सिद्धान्त	ग्लॉकान	दुर्बल का हित न्याय है।

प्लेटो ने तीनों सिद्धान्तों का खण्डन करते हुए न्याय शब्द का प्रयोग नैतिक अर्थ में किया है। उसने न्याय के दो रूप बताए है।

1. व्यक्तिगत न्याय 2. सामाजिक न्याय

उसके अनुसार मानवीय आत्मा के तीन तत्व हैं इन तत्वों पर आधारित राज्य के भी तीन वर्ग है।

आत्मा के तत्व	बुद्धि	शौर्य	इन्द्रिय तृष्णा
राज्य के तत्व	शासक वर्ग	सैनिक वर्ग	उत्पादक वर्ग

प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की आत्मा के तत्व यदि अपने–अपने कर्त्तव्यों का सत्यनिष्ठा से पालन करेगें तभी न्याय स्थापित होगा अन्यथा समाज में अन्याय रहेगा क्योंकि बुद्धिमान का कार्य शासन करना है और यदि इन्द्रिय तृष्णा वाला उत्पादक वर्ग शासन करेगा तो न्याय कैसे स्थापित होगा। प्लेटो के अनुसार सभी समाजों में बुद्धिमानों की संख्या कम होती है और उत्पादकों की संख्या अधिक। लोकतन्त्र में बहुमत का शासन होने के कारण उत्पादक वर्ग शासन करता है इस कारण लोकतन्त्र में न्याय स्थापित नहीं हो पाता।

प्लेटो की न्याय की व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि न्याय का तात्पर्य आत्मा के तत्वों के गुणों के आधार पर कर्त्तव्यों का विभाजन होना चाहिए तभी न्याय स्थापित होगा। किन्तु वैश्वीकरण के इस युग में प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण वितरणात्मक न्याय की समस्या उभर आयी है तथा पूँजीवादी समाज में गरीब और अमीर के बीच की खायी में वृद्धि हुई है। इसके समाधान के लिए जॉन रॉल्स नामक विद्वान ने न्याय का नया सिद्धान्त विकसित किया।

रॉल्स का वितरणात्मक न्याय सिद्धान्त–(Rawls' Theary of Distributive Justice)–

जॉन रॉल्स उदार लोकतन्त्रवादी था। उसने अपने ग्रन्थ ''ए थ्योरी ऑफ जस्टिस'' (A Theory of Justice) में न्याय के जिस सिद्धान्त का विवेचन 1971 में किया उसके माध्यम से उसने एक और उदार लोकतन्त्र का समर्थन किया तथा

दूसरी और उसने समाज के दुर्बल वर्ग के हितों को संरक्षण प्रदान किया। उसने पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों शासन व्यवस्थाओं की हो रही आलोचनाओं के साथ विकासशील देशों में लोकतन्त्र की जड़ों को हिलते हुए देखा। इस परिस्थिति में उदार लोकतंत्र की रक्षा करने का भार रॉल्स के अपने कन्धों पर उठाया। जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है।

न्याय की समस्या

प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की समस्या–जॉन रॉल्स के अनुसार प्राथमिक वस्तुएँ हैं अधिकार तथा स्वतन्त्रताएँ (Rights and Liberties), आय और सम्पदा (Income and wealth) शक्तियाँ और अवसर (Powers and Opportunities), आत्मसम्मान (Self Respect) आदि। रॉल्स ने अपने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की। उसने उपयोगितावाद का खण्डन किया। रॉल्स के अनुसार सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए किन्तु उससे दु:खी लोगों के दु:ख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। अत: उपरोक्त प्राथमिक वस्तुओं का वितरण न्यायपूर्ण हो जिसमें सामान्यत: कोई छूट तभी दी जा सकती है जब यह सिद्ध हो जाए कि इसमें निम्नतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ सम्भव होगा।

रॉल्स का अज्ञानता के आवरण का सिद्धान्त अथवा सामाजिक अनुबन्ध की तर्क प्रणाली–रॉल्स ने न्याय की सर्वसम्मत और विश्व व्यापी काल्पनिक तर्क प्रणाली का सहारा लेते हुए कहा कि मानों मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठे है जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, हितों, निपुणताओं, योग्यताओं आदि से बिल्कुल अनिभिज्ञ होते हैं। वे यह भी नहीं जानते की समाज में कौन-कौन सी बातें संघर्ष पैदा करती है किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेगें, उच्च जाति के परिवार में पैदा होगें या निम्न जाति में, धनी होगें या गरीब, सुविधासम्पन्न होगें या सुविधाहीन। उन्हें यह पता भी हो कि वे श्वेत अश्वेत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें समाज में बरते जाने वाले भेदभाव का पता नहीं होगा परन्तु उन्हें अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का आरम्भिक ज्ञान होगा और न्याय का बोध भी होगा।

अज्ञानता के पर्दे के पीछे नैतिकता के विचार से जुड़े कुछ प्रतिबन्ध अवश्य लगे होगें। रॉल्स ने मूल स्थिति के इन मनुष्यों को 'विवेकशील कर्त्ता' की संज्ञा अवश्य दी जो न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए तथा परस्पर सहमति पर पहुँचने के लिए एकत्र हुए है। उनका सरोकार अपने-अपने लिए प्रारम्भिक वस्तुओं की अधिकतम वृद्धि से है। दूसरों को ये वस्तुएँ कितनी मात्रा में मिलती है। इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

ऐसे हालात में कोई मनुष्य जोखिम उठाने और जुआ खेलने के लिए तैयार नहीं होगा न उन्हें यह पता होगा कि उन्हें कितना दॉव लगाना है। इस अनिश्चितता कि स्थिति में वे सबसे कम खतरनाक रास्ता चुनेगें।

रॉल्स के अनुसार नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिन्तन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की और प्रेरित करता है। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? यह निर्धारित करने के लिए हम स्वतन्त्रता होते हैं। यही विश्वास रॉल्स के सिद्धान्त को निष्पक्ष न्याय के प्रश्न को हल करने का श्रेष्ठ समाधान प्रस्तुत करता है।

न्याय का मूल सिद्धान्त होगा कि आय का दरिद्र के हित में या हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ– जब मूल स्थिति की उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाएगीं तो कोई भी वार्ताकार कोई जोखिम नहीं उठाएगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को शंका रहेगी कि कहीं यथार्थतर सामने आने पर वह अपने को हीनतम स्थिति में न पाए और प्रत्येक व्यक्ति

माँग करेगा कि जो हीनतम स्थिति में है उसे अधिकतम मिलना चाहिए इस कारण सब लोग न्याय के निम्नलिखित नियमों को स्वीकार कर लेगें।

रॉल्स के न्याय के नियम

समान स्वतन्त्रता का सिद्धान्त	प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतन्त्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसी ही स्वतन्त्रता के साथ निभा सकता हो।
भेद मूलक सिद्धान्त	इसमें सबसे हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ हो।
अवसर की उचित समानता	ये विषमताएँ उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हो जो अवसर की उचित समानताका सिद्धान्त की शर्तो पर सबके लिए सुलभ हो।

न्याय के अन्य नियम

समान लोगों के प्रति समान बरताव—आज के उदारवादी जनतन्त्रों में नागरिकों को अनेक अधिकार प्राप्त हैं जिनमें जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकार शामिल है। किन्तु इनके अलावा समान लोगों के प्रति समान बरताव के लिए जाति, लिंग, वर्ग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए जैसे-चाहे गार्ड हो या ड्राइवर जाति के आधार पर वेतन में भेदभाव न किया जाए चाहे महिला हो या पुरूष समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।

समानुपातिक न्याय—इस न्याय में लोगों को उनकी मेहनत, योग्यता और प्रयासों के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है।

मुक्त बाज़ार बनाम राज्य का हस्तक्षेप —मुक्त बाज़ार के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति को सम्पत्ति अर्जित करने के लिए स्वतन्त्र रहना चाहिए राज्य इसमें कम से कम हस्तक्षेप करें तो बाज़ार में होने वाला कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्त्तव्यों का वितरण सुनिश्चित करेगा।

किन्तु इसके भी दोष है यह केवल सुविधा सम्पन्न और प्रतिभावान लोगों को लाभ पहुँचाएगा और अमीर और गरीब के मध्य खाई उत्पन्न कर देगा। इसलिए राज्य को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि समाज के तमाम सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूर्ण हो।

सामाजिक न्याय का पक्ष तथा न्यायपूर्ण बंटवारा—सामाजिक न्याय का अर्थ है ऐसी सामाजिक व्यवस्था का होना जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर और सुख सुविधा उपलब्ध हो। धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्मस्थान, अमीरी, गरीबी, वंश इत्यादि के आधार पर किसी को समाज में नीचा न देखना पड़े और न ही इन आधारों पर समाज में व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में रूकावट आएँ। सामाजिक न्याय का प्रश्न सामाजिक न्याय केवल ऐसी सामाजिक व्यवस्था में मिल सकता है जहाँ आर्थिक शोषण न हो। जहाँ वर्ग विभाजन न हो, जहाँ कुछ लोगों के हाथ में समाज के सारे उत्पादन के साधन न हों। जहाँ निर्धन जन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने को बेचने को मजबूर न हों।

इस प्रकार सामाजिक न्याय का आदर्श लोगों के कल्याण को बढ़ावा देकर ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने को प्रोत्साहित करता है जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को समृद्ध करें।

सामाजिक न्याय का चित्रण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है

सामाजिक न्याय

सामाजिक हित	विधिक आधार
1. सामान्य सुरक्षा में शान्ति व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अभिग्रहित वस्तुओं की सुरक्षा बनी रहे।	1. अन्य लोगों द्वारा मनमाना आक्रमण न किया जाए
2. सामाजिक संस्थाओं में-विवाह, धार्मिक संस्थाएं आदि।	2. जिन पक्षों के साथ लेन देन किया जाए वे सत्यनिष्ठा से कार्य करें।
3. सामान्य नैतिक मानकों में-जुआ, मद्यपान, मनुष्यों के अनैतिक क्रय विक्रय का निषेध	3. किसी को अर्जित वस्तुओं और उनके उपयोग में कोई रूकावट नहीं।
4. सामाजिक संसाधनों का संरक्षण जैसे-खाद्य सामग्री, खनिज आदि	4. व्यक्तियों को अनुचित जोखिम न उठाने देना और सावधानी पूर्वक कार्य करने की चेतावनी देना
5. सामान्य प्रगति में-व्यापार की स्वतन्त्रता, शोध को प्रोत्साहित करना आदि।	5. किसी अन्य द्वारा रखी गयी खतरनाक वस्तुओं को सावधानीपूर्वक उनकी सीमाओं के भीतर रखा जाना
6. व्यक्तिगत अधिकारों में मजदूरी, काम करने की परिस्थितियाँ, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आदि।	6. कार्मिक को रोजगार का अधिकार देना।
	7. यदि मनुष्य पर कोई विपत्ति आती है तो समाज उसका साथ दे
	8. औद्योगिक समाज में आवश्यक मानवीय क्षति की स्थिति में उचित मुआवजा दिया जाना

भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गयी सामाजिक न्याय की व्यवस्था

भारतीय संविधान की अन्तरात्मा न्याय, समता, अधिकार और बन्धुत्व के सिद्धान्तों से परिपूर्ण है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय संविधान की श्रेष्ठ महत्वाकांक्षाओं में से एक है। हमारें संविधान की प्रस्तावना में न्याय को विशेष रूप में उल्लिखित किया गया है। संविधान निर्माता इससे परिचित थे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में स्वतन्त्रता और समानता के अतिरिक्त सामाजिक न्याय अनिवार्य है। न्याय के द्वारा ही लोकहित की वृद्धि हो सकती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना का प्रयास करना राज्य का पवित्र कर्त्तव्य माना गया है।

सामाजिक न्याय का अभिप्राय है मानव-मानव के बीच में जाति, वर्ग के आधार पर भेद न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो संविधान के तीसरे भाग (मौलिक अधिकार) और चौथे भाग (राज्य की नीति के निदेशक तत्व) में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए विविध उपायों का उल्लेख किया गया है।

1. अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानूनों से समान सुरक्षा प्रदान की गयी है।

2. अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है।

3. अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता इसके साथ ही राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

5. अनुच्छेद 23 और 24 में बेगार व शोषण का अन्त कर दिया गया।

सामाजिक न्याय की पूर्ण प्राप्ति के लिए आर्थिक और राजनैतिक न्याय की प्राप्ति भी अनिवार्य है। इसी उद्देश्य को लेकर संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इन्हें प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं।

1. राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरूष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा तथा समान कार्य के लिए समान मजदूरी प्रदान करेगा।

2. राज्य प्रयत्न करेगा कि देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण की व्यवस्था ऐसी करेगा जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके।

3. राज्य स्त्री पुरूषों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग नहीं होने देगा।

4. राज्य अपनी सीमाओं के अन्दर सभी नागरिकों को काम का अधिकार सुनिश्चित करेगा ताकि बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सामाजिक सहायता प्राप्त कर सके।

5. संविधान द्वारा सामाजिक समानता लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों तथा सवैधानिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है।

6. महिलाओं को ग्राम पंचायतों तथा शहरी निकायों में 33% आरक्षण दिया गया है।

इसी सामाजिक समानता व न्याय के लिए संविधान संशोधनों से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के अधिकार छीने गए। सामन्तवादी एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। सम्पत्ति के परम्परावादी अधिकार को आर्थिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में सीमित किया गया ताकि कमजोर वर्ग के शोषण को रोककर समतावादी समाज का निर्माण हो सके।

इस प्रकार सामाजिक न्याय-न्याय की ऐसी अवधारणा है जिसमें राजनैतिक, आर्थिक कानूनी न्याय आदि समाहित हो जाते हैं विभिन्न विद्वानों तथा संविधान विशेषज्ञों और संविधान में दिये गए प्रावधानों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्याय की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और आत्मगुण के अनुसार कार्य करें तथा राज्य के नियन्त्रण द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग पर आधारित भेदभाव को समाप्त किया जाए तथा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति या प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य देने की व्यवस्था हो इसी से सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। सुकरात, प्लेटो, जॉन रॉल्स आदि विद्वानों द्वारा इसी सन्दर्भ में अपने सिद्धान्त प्रस्तुत किए। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अनेक प्रावधान स्थापित किए गए हैं।

संवर्धित मूल्य

1. न्याय समाज और राज्य का आधार है बिना न्याय के मत्स्य शासन अथवा जंगल राज स्थापित होगा और मानव-मानव न रहकर जंगली जानवर की तरह होगा इसलिए सभी को न्याय की अवधारणा का संवर्धन करना चाहिए।

2. धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग पर आधारित भेदभाव की सामाजिक न्याय द्वारा समाप्ति होगी और समाज में समरसता और भातृत्व की भावना का विकास होगा
3. कमजोर और असहाय वर्ग के लिए सामाजिक न्याय वरदान है जिससे सामाजिक समृद्धि में वृद्धि होगी
4. प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मगुणों और प्रतिभा के अनुसार कार्य करने को तत्पर होगा।
5. भारतीय संविधान में दिये गए सामाजिक न्याय के प्रावधानों पर विश्वास बढ़ेगा और संवर्द्धन होगा।

पाठ्यगत अवधारणाएं

1. अवधारणा–कोई नियम या सिद्धान्त
2. परम्परा–प्राचीन काल से चला आ रहा कोई नियम
3. उन्मूलन–जड़ से उखाड़ना या पूर्ण रूप से नष्ट करना
4. दरकिनार–किसी वस्तु या विचार को छोड़ना या अलग होना
5. कसौटी–किसी वस्तु की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता जानने का साधन
6. अप्रतिबन्धित–जिस पर कोई रोक न लगायी गयी हो
7. द्वन्द्वात्मक पद्धति–वाद, प्रतिवाद व संवाद

न्याय

कुछ गद्य में कुछ पद्य में

न्याय का क्या अर्थ है? प्रश्न है एक राज का।
पशु से मानव बनने तक शब्द होता हर आवाज़ का।।
न्याय ही एक डोर है हर क्षण बदलते मिज़ाज़ का।
न्याय ही वह शक्ति जो बन्धन है समाज का।।
न्याय के ही भय से तो प्रेम बढ़ता सर्प और बाज का।
किन्तु कैसे मिले सच्चा न्याय यह करूण क्रन्दन आज का।।
ईमानदार को मिले सजा तो होता न्याय बदनाम है।
सुकरात, प्लेटो, जॉन रॉल्स ये सब न्याय के विद्वान है।।
कोई किसी का करें न शोषण बताते राज्य के ये काम है।
न्याय को ही प्राप्त करने बना भारत का संविधान है।।
न्याय से ही जग है रोशन वरना रहती शाम है।
न्याय से ही स्वर्ग मिलता वरना नरक धाम है।।
न्याय की स्थापना ही UNO का प्राण है।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब न्याय के ही नाम है।।

आकंलन मूल्यांकन (अपेक्षित प्रश्न)

एक अंकीय प्रश्न

1. न्याय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है?
2. किसी एक विद्वान की न्याय की परिभाषा लिखिए।
3. प्लेटो द्वारा वर्णित न्याय के दो प्रकार लिखिए।

दो अंकीय प्रश्न

1. भारतीय दर्शन के अनुसार न्याय की दो विशेषताएँ लिखिए।
2. सामाजिक न्याय की स्थापना की चार परिस्थितियाँ लिखिए।

छः अंकीय प्रश्न

1. वितरणात्मक न्याय की अवधारणा की व्याख्या जॉन रॉल्स के दृष्टिकोण के सन्दर्भ में कीजिए।

पाठ-6

जन आन्दोलनों का उदय

परिचय

जन आन्दोलनों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून व नीतियाँ सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो और समाज में वस्तुओं व सेवाओं का न्यायोचित वितरण हो। चाहे यह राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अन्दर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच का।

जब लोकतांत्रिक सरकारें सामाजिक न्याय की स्थापना व समय के साथ उपजी चुनौतियों का मुकाबला करने में असफल होती है, तब जन आन्दोलन का ही विकल्प मात्र बचता है।

सम्पूर्ण विश्व में आन्दोलन व विरोध को लोकतांत्रिक व्यवस्था का भाग समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। क्योंकि इन आन्दोलनों से सरकार को लोगों की माँगों व अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिन्हें सुधारकर वह लोगों को संतुष्ट कर सकती है।

इस अध्याय के माध्यम से जन आन्दोलन का अर्थ, उनकी प्रकृति और दलीय व गैर-दलीय जन आन्दोलन में अंतर को समझने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा गैर दलीय आन्दोलनों के उदय की परिस्थितियों को समझ सकेंगे। इस अध्याय में विभिन्न आन्दोलनों के माध्यम से लोगों की माँगों, आवश्यकताओं व उपलब्धियों के बारे समझने में मद्द मिलेगी।

जन-आन्दोलन से तात्पर्य

जन-आन्दोलन एक निश्चित समय में चलने वाली कार्यवाही होती है, जो सरकार को किसी नीति या कार्यक्रम को बदलने अथवा प्रभावी तरीके से लागू करने की माँग करती है। सामान्यतय ये आन्दोलन राजनीतिक अथवा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए किए जाते हैं। परन्तु कभी-कभी इन आन्दोलनों का उद्देश्य परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकना होता है।

किसी भी जन आन्दोलन के सामान्यतया निम्न तत्व होते हैं–

(i) **जन भागीदारी**–यह भागीदारी स्वयंसेवी समूह द्वारा हो सकती है।

(ii) **एक विशेष लक्ष्य या उद्देश्य**–जिसे प्राप्त करने के लिए ये संगठित होते हैं।

(iii) एक विशेष लक्ष्य या उद्देश्य को पाने के लिए कार्यवाही। यह कार्यवाही धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन अथवा जन जागृति अभियान आदि के रूप में होती है।

इसके अतिरिक्त चूँकि कोई भी जन आन्दोलन व्यवस्था के प्रति असन्तोष से उत्पन्न होता है। उपजे असंतोष का कारण चाहे व्यवस्था से परिवर्तन की माँग हो या संभावित परिवर्तन को रोकने का पक्षधर हो। इसलिए 'असंतोष' जन आन्दोलन का एक अन्य महत्त्वपूर्ण तत्व है।

जन आन्दोलन की प्रकृति व प्रकार

1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे-महिला छात्र, किसान, दलित तथा पर्यावरण प्रेमी आदि को लग रहा था कि लोकतांत्रिक राजनीति उनकी जरूरतों और माँगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी प्रकार विकास की बड़ी परियोजनाओं के कारण पर्यावरण व पुर्नवास और स्वच्छता जैसे मुद्दे उभरे। इसके चलते ये समूह अपनी आवाज बुलन्द करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के झंडे के नीचे एकजुट हुए व अपनी माँगों व चिन्ताओं को अभिव्यक्त किया। इस प्रकार आन्दोलनों की प्रकृति बहुआयामी तथा विविध रही।

जन आन्दोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आन्दोलन का रूप ले सकते हैं और अवसर ये आन्दोलन दोनों ही रूपों के मेल से बने नजर आते हैं। उदाहरण के लिए आज़ादी के बाद शुरूआती सालों में तेलंगाना क्षेत्र के किसान कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व मे लामबन्द हुए। इन्होंने काश्तकारों के बीच जमीन के पुर्नवितरण की माँग की। आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल व बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेतिहर मजदूरों ने 1969 में मार्क्सवादी-लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जारी रखा। मार्क्सवादी-लेनिनवादी समूहों को नक्सलवादी के नाम से जाना गया। किसान और मजदूरों के आन्दोलन का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय तथा असमानता के मसले पर रहा। ऐसे आन्दोलनों ने औपचारिक रूप से चुनावों में भाग नहीं लिया लेकिन राजनीतिक दलों से इनका नजदीकी रिश्ता बना रहा। ऐसे आन्दोलन 'दलीय आन्दोलन' कहलाते हैं।

70 व 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार-व्यवहार से मोहभंग हुआ जिसके कई कारण हैं–

(i) जनता पार्टी के रूप में असफल गैर कांग्रेसवाद के प्रयोग के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल कायम हुआ।

(ii) नियोजित विकास का मॉडल अपनाने के बावजूद आर्थिक विकास की दर निम्न रही और आर्थिक असमानता बनी रही।

(iii) आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर तबके को बराबर नहीं मिला

(iv) जाति व लिंग पर आधारित सामाजिक असमानताओं ने गरीबी के मसले को और भी जटिल बना दिया।

(v) शहरी औद्योगिक तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के बीच अन्तर बना रहा।

उपरोक्त कारणों से विभिन्न प्रभावित समूहों का लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा चुनावी राजनीति से विश्वास उठने लगा। इन्होंने दलित, आदिवासी व प्रकृति प्रेमी समूहों को लामवन्द करना शुरू किया। मध्यवर्ग के युवा कार्यक्रम तथा सेवा-संगठन चलाये। इन संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा गया। इन संगठनों का मानना था कि स्थानीय मसलों के समाधान में स्थानीय नागरिकों की सीधी और सक्रिय भागीदारी राजनीतिक दलों की अपेक्षा ज्यादा कारगर होगी तथा सरकार की प्रकृति में सुधार आयेगा।

ऐसे स्वयंसेवी संगठन आज भी सक्रिय हैं। इनमें से कुछ का वित्त पोषण विदेश एजेन्सियाँ करने लगी हैं। जिससे स्थानीय पहल का आदर्श कुछ कमजोर हुआ है।

दलित आन्दोलन : दलित पैंथर्स

70 के दशक में शिक्षित दलितों की पहली पीढी ने अपने हक की आवाज उठाई। कुछ शिक्षित दलित युवकों ने 1972 में जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामलों में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना की। दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा का समाप्त करना तथा भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। इनकी मुख्य माँग थी कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को पूरी तरह लागू किया जाये। इन्होंने आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की नीतियों को कारगर तरीके से क्रियान्वित करने पर बल दिया।

दलित पैंथर्स ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर विरोध आन्दोलन चलाया। परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून के अन्तर्गत दलित पर अत्याचार करने वाले के लिये कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया।

इस आन्दोलन से पढ़े-लिखे युवकों को एक मंच मिला। जहाँ वे अपनी सृजनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज बनाकर कर सकते थे। इस दौर में अनेक आत्मकथाएँ तथा अन्य साहित्यिक रचनाएँ प्रकाशित हुई। रचनाओं में दलित लेखकों ने जाति प्रथा का जबरदस्त विरोध किया। आपातकाल (1975-1977) के बाद दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते किये। तत्पश्चात् इनमें विभाजन हुआ और यह संगठन राजनैतिक पतन का शिकार हो गया। इस संगठन का स्थान वैकवर्ड एण्ड माइनोरिटी इम्पलाइज फेडरेशन (वामसेफ) ने ले लिया।

किसान आन्दोलन : भारतीय किसान यूनियन

1970 के दशक में हरित क्रान्ति का लाभ सम्पन्न किसानों तक सीमित रहा। बावजूद इसके 80 के दशक में अपेक्षाकृत धनी किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस विरोध का नेतृत्व उत्तर भारत में 'भारतीय किसान यूनियन' नामक संगठन ने किया। इस संगठन ने गन्ने और गेहूँ के सरकारी खरीद-मूल्य में बढ़ोत्तरी, कृषि उत्पादों के अन्तर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पावन्दियाँ हटाने, समुचित दर पर गारन्टी शुदा बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की माँग रखी।

सरकार पर अपनी माँगों को मंगवाने के लिए दबाव डालने के क्रम में भारतीय किसान यूनियन ने रैली, धरना, प्रदर्शन और जेल भरो आन्दोलन का सहारा लिया। भारतीय किसान यूनियन ने जो लामबन्दी की, उनका एक नया पक्ष यह था कि इनमें किसानों के जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया। इस संगठन के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे। इसने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परम्परागत संस्था का उपयोग किया। इनका यह आन्दोलन अपनी दो माँगे फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी व बिजली की दरों में कटौती तुरन्त मनवाने में कामयाब रहा। ऐसी माँगें देश के अन्य किसान संगठनों ने उठाई। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के किसानों के आन्दोलन को "इंडिया" की ताकतों (यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र) के खिलाफ "भारत" की ताकतों (यानि ग्रामीण कृषि क्षेत्र) का संग्राम करार दिया। आज भी किसान सूखा, उत्पादन लागत में बढ़ोत्तरी और कर्ज के जाल के कुचक्र में फंसकर आत्म हत्या को मजबूर है।

महिला अधिकार आन्दोलन : ताड़ी विरोधी आन्दोलन

90 के दशक में आन्ध्र प्रदेश में शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया गया महिलाओं का आन्दोलन था। यह आन्दोलन साक्षरता अभियान से शुरू होकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण तक पहुँचा।

90 के दशक के शुरूआत में आन्ध्रप्रदेश के नैल्लौर जिले के एक दूरदराज के गाँव दुबरगंटा में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की । कक्षाओं में महिलाओं आपस में घर के पुरूषों द्वारा नशे की लत की शिकायत करती थीं। शराब की गहरी लत के कारण पुरूष शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो गये थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। पुरूष अपने काम से लगातार गैर हाजिर रहने लगे थे। परिणामतय बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने लगा। घर की आर्थिक हालात बिगड़ने लगे। परिवार में तनाव व झगड़े का वातावरण पैदा हो गया। कुल मिलाकर शराबखोरी का सर्वाधिक दुष्परिणाम घर की महिलाओं व बच्चों को भोगने पड़ रहे थे।

नैल्लोर में महिलाएं शराब की बिक्री के खिलाफ आगे आयीं। करीब पाँच हजार ग्रामीण महिलाओं ने आन्दोलन में भाग लेना शुरू किया। नतीजन नैल्लोर जिले में शराब की दुकानों की नीलामी 17 बार रद्द की गई।

ताड़ी विरोधी आन्दोलन का बहुत साधारण नारा था ताड़ी की बिक्री बन्द करो। किन्तु इस नारे ने महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक मुद्दों को गहरा प्रभावित किया। अब महिलाएं घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर खुले तौर पर चर्चा करने लगीं। ताड़ी विरोधी आन्दोलन महिला आन्दोलन का एक हिस्सा बन गया। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन-उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाले महिला समूह जो शहरी क्षेत्र तक सीमित थे, को व्यापक आधार मिला। इन समूहों ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धान्त पर आधारित व्यक्तिगत एवं सम्पत्ति कानूनों की माँग की।

1990 के दशक के मध्य में महिला आन्दोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा। संविधान के 73 वें व 74 वें संशोधन के अन्तर्गत महिलाओं को स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण दिया गया। राज्यों की विधानसभाओं तथा संसद में महिला आरक्षण लागू करने की माँग की जा रही है, जो कि संसद में विचारधीन है।

पर्यावरणीय आन्दोलन–चिपको आन्दोलन व नर्मदा बचाओ आन्दोलन आज़ादी के बाद देश में अपनाए गए आर्थिक विकास के मॉडल पर पर्यावरणवादियों द्वारा प्रश्नचिन्ह लगाया गया। यहाँ दो उदाहरणों नर्मदा बचाओं आन्दोलन व चिपको आन्दोलन से समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ एक और चिपको आन्दोलन ने इस मॉडल में निहित पर्यावरणीय विनाश व स्थानीय लोगों की आजीविका के मुद्दे को सामने रखा वहीं नर्मदा बचाओं आन्दोलन ने लोगों के विस्थापन, उनकी संस्कृति तथा पर्यावरण को इंगित किया।

चिपको आन्दोलन

चिपको आन्दोलन की शुरूआत 1973 में हुई जब मौजूदा उत्तराखण्ड के एक गाँव के स्त्री-पुरूष एक जुट हुए और उन्होंने जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध के लिए उन्होंने नया तरीका अपनाया। उन्होंने पेड़ों को अपनी बाँहों में घेर लिया, ताकि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। यह चिपको आन्दोलन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। चिपको आन्दोलन में परिस्थितिकीय व आर्थिक शोषण के सवाल को उठाया गया। स्थानीय निवासियों की माँग थी कि जंगल कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों का जल, जंगल व जमीन जैसे

प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। स्थानीय लोगों का जल, जंगल व जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने सरकार से लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराने की माँग की तथा भूमिहीन वन कर्मियों का आर्थिक मुद्दा उठाया और न्यूनतम मज़दूरी की गारन्टी की माँग की। इस आन्दोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। शराब विरोधी मुहिम चलाई। आखिरकार इस आन्दोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 सालों के लिये हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी ताकि इस अवधि में क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन

80 के दशक में नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा व उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले व 300 छोटे बाँध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर और मध्यप्रदेश के नर्मदा सागर बाँध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया।

इस परियोजना का उद्देश्य पीने का पानी, सिंचाई, और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराना और कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोत्तरी करना था। बाँध की उपयोगिता इस बात से भी जोड़ कर देखी जा रही थी कि इससे बाढ़ व सूखे की आपदाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

इस परियोजना का नकारात्मक पहलू यह था कि इसके कारण लोगों के आवास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा था। इन विकास परियोजनाओं का विरोध करने वाले आन्दोलनकारियों ने इन मुद्दे पर विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए और जल, जंगल व जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन पर उनका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। इन्होंने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि लोकतंत्र में कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान क्यों उठाना चाहिए? इससे जुड़े आन्दोलनकारी अब बड़े बाँधों का खुला विरोध करते हैं।

इस आन्दोलन का प्रभाव यह हुआ कि सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय पुर्नवास नीति बनायी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रभावित लोगों के पुर्नवास का काम सही ढ़ंग से करने का आदेश दिया। इस आन्दोलन के विरोधियों का कहना है कि आन्दोलन का अड़ियल रवैया, विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

मछुवारों का आन्दोलन : नेशनल फिशवर्कर्स फोरम

काफी लम्बे समय से तटीय इलाकों में रहने वाला मछुवारा समुदाय की आजीविका का मुख्य साधन मत्स्य आखेट रहा है। मछुवारा समुदाय परम्परागत रूप से इस कार्य को करता आ रहा था। किन्तु 70 के दशक के बाद जब सरकार ने मशीनीकृत मत्स्य आखेट और भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए ''वॉटम ट्राऊलिंग'' जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी तो मछुवारों के जीवन व आजीविका पर संकट आ खड़ा हुआ।

1980 के दशक मे मछुवारों ने नेशनल फिशवर्कर्स फोरम के रूप में एक राष्ट्रीय संगठनों को लामबंद किया। इस फोरम ने मछुवारों के स्थानीय संगठनों को लामबंद किया। इस फोरम ने 1997 में सरकार के विरूद्ध पहली कानूनी लड़ाई में सफलता पाई। एन.एफ.एफ केन्द्र सरकार की इस नीति के विरूद्ध जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक जहाजों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इज़ाजत दी गयी। इस फोरम ने उन लोगों के हितों की रक्षा की जो वास्तव में अपने

जीवन यापन में मछली मारने के पेशे से जुड़े हुए थे, न कि उनके जो इस क्षेत्र में महज लाभ के लिए निवेश करते हैं।

जुलाई 2002 में एन.एफ.एफ. ने राष्ट्र व्यापी हड़ताल का आवाहन किया। यह हड़ताल विदेशी कम्पनियों को सरकार द्वारा मछली मारने के लाइसेंस जारी करने के विरोध में की गई थी। इस प्रकार नेशनल फिशवर्कर्स फोरम ने पारिस्थितिकी की रक्षा तथा मछुवारों की आजीविका बचाने हेतु महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

नागरिक अधिकार आन्दोलन : सूचना के अधिकार का आन्दोलन–

शासकीय कार्य में पारदर्शिता व भ्रष्टाचार में नकेल कसने की दिशा में सूचना का अधिकार आन्दोलन मील का पत्थर साबित हुआ। इस आन्दोलन की शुरूआत 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया। इस संगठन ने सरकार के सामने यह माँग रखी कि राजस्थान की भीम तहसील में अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दिया जाने वाले वेतन के रिकार्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। वस्तुतः ग्रामीणों का मानना था कि अकाल राहत कार्य के दौरान फर्जी बिल लगाये गये हैं तथा मजदूरों को दिए जाने वाले वेतन में घपला हुआ है। 1994 व 1996 में इस संगठन ने जनसुनवाई का आन्दोलन किया तथा प्रशासन को अपना पक्ष रखने के लिए कहा।

आन्दोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायत अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। नये कानून के अन्तर्गत–

(a) जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई।

(b) पंचायत के बजट खर्च, नीतियों और लाभार्थियों की सार्वजनिक घोषणा अनिवार्य कर दिया गया।

(c) पंचायतों को खर्च का ब्यौरा नोटिस बोर्ड व अखबारों में देना आवश्यक हो गया।

1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस आन्दोलन के प्रभाव स्वरूप पहले 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हुआ, जो कि काफी कमजोर अधिनियम था। 2004 में इसको संशोधित करके नया सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया, जिसे 2005 में राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई।

प्रमुख शब्द/ पाठ्यगत अवधारणा

1. जन आन्दोलन–किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली जन कार्यवाही।
2. दलीय आन्दोलन–ऐसे आन्दोलन जो सैद्धान्तिक (वैचारिक) रूप से किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं।
3. गैर दलीय आन्दोलन–ऐसे आन्दोलन जो किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखते हैं जैसे–दलित, किसान, छात्र, पर्यावरण व महिला आन्दोलन।
4. स्वतंत्र राजनीतिक संगठन–दलगत व चुनावी राजनीति से अलग रहकर नागरिकों की सीधी व सक्रिय भागीदारी पर बल देते हैं।
5. बॉटम ट्राऊलिंग–गहरे समुद्र में मत्स्य दोहन के लिए मशीनों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी।

क्रियाकलाप

1. वर्तमान समय में चल रहे किसी पर्यावरणीय आन्दोलन से सम्बन्धित तथ्यों को इकट्ठा कीजिए। इस आन्दोलन

की प्रमुख माँगे क्या हैं? इन माँगों में कठिनाई क्या है?

2. आज महिलाओं को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनकी सूची बनाइए। आप इन कठिनाइयों से निपटने के लिए किन सुझावों को देना चाहेंगे।
3. क्या आपने किसी आन्दोलन को नजदीक से देखा या सुना है? इस आन्दोलन में किन मुद्दों को उठाया गया था? यह मुद्दे कहाँ तक सुलझे हैं? आप आन्दोलनकारियों को किन सुझावों को देना चाहेंगे।

सम्वर्द्धित मूल्य

इस अध्याय के अध्ययन के उपरान्त छात्रों में निम्न महत्त्वपूर्ण मूल्यों के विकास में मदद् मिलेगी–

* सामूहिक प्रयास.
* संगठन की भावना.
* प्रकृति से लगाव.
* प्राकृतिक संसाधनों की अहमियत.
* समाज के वंचित वर्ग के प्रति सम्वेदना.

प्रश्न

1. दलित पैंथर्स के गठन का उद्देश्य क्या था?
2. भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाये आन्दोलन की विशिष्टता क्या थी?
3. चिपको आन्दोलन के विशिष्ट पहलू को उजागर कीजिए।
4. शेतकारी संगठन ने किसानों के आन्दोलन को इंडिया बनाम् भारत का संग्राम करार क्यों दिया?
5. दल आधारित आन्दोलन का तात्पर्य उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
6. ताड़ी विरोधी आन्दोलन की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए।
7. नर्मदा घाटी की बाँध परियोजनाओं के पक्ष व विपक्ष में दो-दो तर्क दीजिए।
8. ''जन आन्दोलन, राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद् देता है'' आप इस वाक्य कथन से कहाँ तक सहमत हैं?

पाठ-7

पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

परिचय

वैश्विक राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का मुद्दा "मानव सुरक्षा" से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, संसाधनों का मनमाना इस्तेमाल व मूलवासियों की समस्याएं हमारी चिन्ताओं को बढ़ाती है। 1960 के दशक के बाद पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में तेजी आयी है। लेकिन सामूहिक व लगातार वैश्विक प्रयास ही इस धरती को हरा-भरा रखने में मदद् कर सकते हैं। विभिन्न देशों के समक्ष सबसे गम्भीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुँचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है।

इस अध्याय में पर्यावरण चिन्ताओं, विश्व की सांझी सम्पदा, संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी और अनन्तकाल से रहते चले आ रहे मूलवासियों के सवाल को उठाया गया है।

इस अध्याय के अध्ययन से –

* पर्यावरण के मुद्दे की गम्भीरता समझ सकेंगे।
* पर्यावरण के मुद्दे को सुलझाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अवलोकन कर सकेंगे।
* पर्यावरण के मुद्दे को सुलझाने के प्रयासों के दौरान उभर रहे मतभेदों को जान सकेंगे।
* भारत का पर्यावरण के मुद्दे पर पक्ष व उसके द्वारा किए जा रहे पर्यावरणीय प्रयासों को जान सकेंगे।
* विश्व की साझी सम्पदा की सुरक्षा, भू-राजनीति का महत्व और मूलवासियों की समस्या जैसे ज्वलन्त वैश्विक मुद्दों पर समझ विकसित कर सकेंगे।

वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों?

वैश्विक राजनीति में पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताएं एक गम्भीर मुद्दा है। निम्न तथ्य इन चिन्ताओं की पुष्टि करते हैं–

* विश्व में खाद्य आवश्यकता बढ़ रही है, जबकि कृषि योग्य जमीन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। जमीन की उर्वरता में भी कमीं आ रही है।
* चारागाहों की स्थिति भी चिन्तनीय है। मत्स्य भण्डार घट रहा है। जलाशयों की जलराशि में तेजी से कमी आ रही है।
* संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट (2006) के अनुसार विकासशील देशों की सवा अरब जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। ढाई अरब आबादी गंदगी में रहने को मजबूर है। इस बजट से तीस लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं।

* प्राकृतिक वनों की कटाई के कारण जैव विविधता को हानि हो रही है।
* धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। जबकि ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पर पहुँचने से रोकती है।
* समुद्र तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट से समुद्रीय पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी।

वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चिन्ता से निपटने के प्रयास पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का एक लम्बा इतिहास है। किन्तु आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर असर की चिन्ता ने 1960 के दशक में राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। 1972 में विचारकों व बुद्धिजीवियों के एक समूह, जिन्हें 'क्लब आफ रोम' के नाम से जाना जाता है, ने 'लिमिट टू ग्रोथ' शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक विश्व में बढ़ती जनसंख्या की तुलना में धरती के घटते संसाधनों का अंदेशा व्यक्त करती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़े मसलों पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा दिया। इस प्रकार पर्यावरण वैश्विक राजनीति का महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

1987 में 'अवर कॉमन फ्यूचर' शीर्षक से "बर्टलैंड रिपोर्ट" प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि आर्थिक विकास के वर्तमान तौर-तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की माँग ज्यादा प्रबल है।

1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो-डी-जेनेरियो में हुआ। इसे रियो सम्मेलन अथवा 'पृथ्वी सम्मेलन' के नाम से जाना जाता है। विकसित देश अर्थात् उत्तरी गोलार्द्ध तथा गरीब और विकासशील देश अर्थात् दक्षिणी गोलार्द्ध के अलग-अलग एजेंडे के साथ इस सम्मेलन में सामने आए। उत्तरी देशों की मुख्य चिन्ता ओजोन परत में छेद और वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे।

रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के सम्बन्ध में नियमाचार निर्धारित हुए। इसमें विकास के लिए कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए, जिन्हें 'एजेन्डा-21' कहा गया। सम्मेलन में इस बात पर तो सहमति थी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। टिकाऊ विकास कैसे किया जाए, यह प्रश्न बना रहा। आलोचकों का मानना है कि एजेन्डा-21 पर्यावरण संरक्षण के बजाय आर्थिक वृद्धि का पक्षधर अधिक है।

साझी, परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ

पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के रवैये में अंतर है। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुँचा है। इसलिए पर्यावरण के नुकसान की भरपाई भी इन्हीं देशों को उठानी चाहिए। साथ ही चूँकि विकासशील देश अभी औद्योगीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सन् 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे 'साझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियों' का सिद्धान्त कहा गया।

रियो-घोषणा पत्र के अनुसार ''धरती के पारिस्थितकी तंत्र की अखण्डता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व-बंधुत्व की भावना से आपस से आपदा में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग-अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की सांझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ होगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन हैं। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।

जलवायु के परिवर्तन से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार अर्थात् यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC-1992) में भी 'सांझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियों' के सिद्धान्त को दोहराया गया। इस से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। जबकि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर अपेक्षाकृत कम है।

जलवायु के परिवर्तन से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार (UNFCCC-1992) के सिद्धान्तों के अनुरूप जापान के क्योटो में 1997 में एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसे, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत औद्योगीकरण देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाईऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रो-फ्लोरो कार्बन आदि को वैश्विक तापवृद्धि के लिये जिम्मेदार माना जाता है।

पर्यावरणीय मसले पर भारत का पक्ष

भारत पर्यावरणीय मसले पर वैश्विक चिन्ता से जुड़ा हुआ है। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल (1997) पर हस्ताक्षर किये और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकाल से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था।

भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व (सन् 2000) के औसत (3.8 टन प्रति व्यक्ति) के आधे से भी कम होगा। सन् 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि सन् 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी।

भारत सरकार ने विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों के द्वारा पर्यावरण से सम्बन्धित वैश्विक प्रयासों में भागीदारी की है। भारत ने अपनी नेशनल आटो फ्यूल पालिसी के अन्तर्गत वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया है। सन् 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। सन् 2003 के बिजली अधिनियम में अक्षय (Renewable) ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की और ध्यान दिया जा रहा है। भारत बायोडीजल से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय मिशन को चलाने की और भी तत्पर है।

भारत का मानना है कि रियो सम्मेलन के समझौते के अनुरूप विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराना चाहिए ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेन्ज की मौलिक प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। दक्षेस देशों को भी पर्यावरणीय मामलों पर एक राय बनानी होगी ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ वजनीय हो सके।

विश्व की सांझी सम्पदा की सुरक्षा

सांझी सम्पदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे-पार्क, नदी, चारगाह आदि। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के सम्प्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इसीलिए उनकी देखभाल अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा होती होती है। इन्हें वैश्विक सम्पदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। जैसे-पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्टिका, समुद्री सतह और बाहरी अन्तरिक्ष आदि।

वैश्विक सम्पदा की सुरक्षा को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हुये हैं जैसे-अर्न्टाटिका संधि (1959), मान्ट्रियल न्यायाचार (प्रोटोकॉल सन् 1987) और अर्न्टाटिका पर्यावरण न्यायाचार (1991)। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में बाधा यह है कि अपुष्ट वैज्ञानिक सबूत व समय सीमा के आधार पर सहमति बना पाना कठिन है। 1980 के दशक के मध्य में अंर्टाटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की पहचान हुई, जिसने विश्व स्तर पर पर्यावरणीय चिंता को बढ़ा दिया है।

वैश्विक सम्पदा के रूप में बाहरी अन्तरिक्ष के दोहन के सम्बन्ध में उत्तरी व दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच असमानता है। धरती के वायुमण्डल और समुद्रीय सतह के समान यहाँ भी महत्त्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। बाहरी अन्तरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उनके फायदे न तो वर्तमान पीढ़ी में सबके लिये बराबर और न ही आगे की पीढ़ियों के लिये।

संसाधनों की भू-राजनीति

भू-राजनीति देश की भौगोलिक विशेषताओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। संसाधनों की भू-राजनीति से क्या, कब, कैसे व कहाँ हासिल होता है, जैसे सवालों से जूझती है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। संसाधनों को लेकर अक्सर राज्यों के बीच तनातनी रही है।

शीतयुद्ध के दौरान विकसित देशों ने संसाधनों की सतत् आपूर्ति के लिए कई कदम उठाए। जैसे-संसाधन दोहन के इलाके तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्दगिर्द सेना की तैनाती, महत्त्वपूर्ण संसाधनों का भण्डारण, संसाधनों के उत्पादन देशों मनपसन्द सरकारों की बहाली व बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना शामिल है।

पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिन्तन का केन्द्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों की पहुँच बनी रहे। क्योंकि सोवियत संघ इसे खतरे में डाल सकता था। सोवियत संघ की विघटन के बाद अनेक खनिज खासकर रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैंसलों को लेकर भी सरकारों को चिन्ता सताती है। वर्तमान में वैश्विक राजनिति में तेल सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध व संघर्ष का इतिहास है। यह बात पश्चिम एशिया व मध्य एशिया में सबसे ज्यादा नजर आती है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भण्डार का 64% हिस्सा मौजूद है। केवल सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भण्डार का एक चौथाई हिस्सा मौजूद है। इराक का तेल भण्डार 1200 अरब बैरल से ज्यादा है। और यह दूसरे नम्बर पर है।

कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तेल की आपूर्ति यहीं से होती है। यद्यपि यह देश इन इलाकों से बहुत दूरी पर हैं।

विश्व राजनीति का दूसरा महत्त्वपूर्ण संसाधन पानी है। स्वच्छ पेयजल, विश्व के हर हिस्से में मौजूद नहीं है। इसलिए आशंका व्यक्त की जाती है कि जल संसाधन 21 वीं सदी में झगड़े का कारण न बन जाये। उदाहरण के लिये नदी के उद्‌गम स्थल से दूर बसा हुआ देश यह चिन्ता व्यक्त कर सकते हैं कि नदी के उद्‌गम के नजदीक बसे हुए देश द्वारा बाँध बनाने, अत्यधिक सिंचाई करने और अत्यधिक जल प्रदूषित करने जैसे कामों द्वारा दूर बसे हुये देशों को मिलने वाले पानी की मात्रा कम होगी या उसकी गुणवत्ता घटेगी।

जल संसाधनों को लेकर 1950 से 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष प्रमुख है। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुख नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। इसी प्रकार तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बाँध के निर्माण को लेकर एक-दूसरे से ठनी हुयी है।

मूलवासी और उनके अधिकार

मूलवासियों का सवाल पर्यावरण संसाधन व राजनीति से सम्बन्धित है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों का परिभाषित किया। संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। फिर किसी दूसरी संस्कृति या जाति-मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश आए और इन लोगों को आधीन बना लिया गया। किसी देश के मूलवासी आज भी अपनी परम्परा, संस्कृति, रिवाज तथा अपने खास सामाजिक-आर्थिक ढर्रे पर जीवन-यापन करना पसंद करते हैं।

भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मूलवासियों की संख्या लगभग 30 करोड़ है। फिलिपींस के कोरडिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। दूसरे सामाजिक आन्दोलनों की तरह मूलवासी आज भी अपने संघर्ष, अजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने का है।

मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा भारत में है। जहाँ इन्हें आदिवासी अथवा जनजाति कहा जाता है। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड समेत ओसियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से पॉलिनेशिया, मैलनेशिया, और माइक्रोनेशिया वंशज के मूल निवासी रहते हैं। सरकारों से इन समुदायों की माँग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाये। आश्चर्यजनक रूप से विश्वभर के मूलवासियों की भूमि और उस पर आधारित जीवन प्रणालियों के बारे में मूलवासियों में एक जैसी सोच है। मूलवासियों के अनुसार भूमि की हानि का अर्थ है, आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि और यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह कुल जनसंख्या का लगभग 8% है। कुछ घुमन्तू जनजातियों को छोड़कर अधिकांश आदिवासी जीवन-यापन के लिए खेती पर निर्भर हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज़ से इन्हें संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। किन्तु आर्थिक विकास का लाभ इन तक पहुँचना अभी बाकी है। आज़ादी के बाद से विकास से जुड़ी परियोजनाओं के कारण बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी विस्थापित हुए हैं। दरअसल इन लोगों ने विकास की बड़ी कीमत चुकायी है।

1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासी नेताओं के बीच सम्पर्क बढ़ा है। उनके साझे सरोकारों व अनुभवों को एक संगठन का रूप 1975 में 'वर्ल्ड काउंसिल आफ इंडिजिन्स पीपल' के गठन से मिला।

पर्यावरणीय आन्दोलन

पर्यावरणीय हानि की चुनौतियों से निपटने के लिये सरकारी व गैर-सरकारी दोनों ही स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

सरकारी प्रयासों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्त्ताओं व गैर सरकारी संगठनों ने सबसे अधिक जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आन्दोलन चलाए हैं। इन सामाजिक आन्दोलनों से उपजी सामाजिक चेतना के अनुसार राजनीतिक कार्यवाही जन्म लेती है या खोजी जाती है। इन आन्दोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी 'विविधता' है।

* दक्षिणी देशों विशेषकर मैक्सिको चिली, भारत, ब्राजील आदि देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है।

* खनिज उद्योग दुनिया के ताकतवर उद्योगों में से एक है। उदारीकरण के बाद बहुराष्ट्रीय खनिज कम्पनियों ने दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों में अपना तंत्र फैलाया। खनिज संसाधनों का दोहन, रसायनों का अधिक उपयोग, भूमि व जल मार्गों को प्रदूषित करना व स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान पहुँचाना और जन समुदायों का विस्थापन आदि के कारण विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना व विरोध हुआ है। उदाहरण के लिए फिलिपींस में आस्ट्रेलिया की बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन' के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ। इसका विरोध स्वदेश यानि आस्ट्रेलिया में भी हुआ। वहाँ विरोध करने वालों में परमाणु-शक्ति के विरोधी व आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों के समर्थक शामिल है।

कुछ आन्दोलन बड़े बाँधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें अब नदियों को बचाने के आंदोलनों के रूप में भी देखा जा रहा है। 1980 के दशक की शुरूआत में विश्व का पहला बाँध विरोधी आन्दोलन आस्ट्रेलिया में चला। यह आन्दोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परवर्ती वन को बचाने का आन्दोलन था। दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों में बड़े बाँध बनाने की होड़ लगी है, जिसका विरोध हो रहा है। इन आन्दोलनों में भारत में चलाया जा रहा नर्मदा विरोधी तथा पर्यावरण बचाओ आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये अहिंसक है।

शब्दावली (Glossary)/ पाठ्यगत अवधारणा–

* क्लब ऑफ रोम–वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाला विद्वानों का एक समूह, जिसने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ" शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की।

* पृथ्वी सम्मेलन–1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केन्द्रित सम्मेलन, जो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है।

* अजेंडा-21–रियो सम्मेलन में अजेडा-21 के रूप में विकास के तौर-तरीके सुझाए गए।

* साझी सम्पदा–उन संसाधनों को कहा गया, जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका आदि।

* टिकाऊ विकास–आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे व संसाधनो का ह्रास न हो।

* ग्रीन हाउस गैस–कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरो कार्बन आदि गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये गैस वैश्विक तापवृद्धि के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं।

* मूलवासी–इन्हें ऐसे लोगों का वंशज माना जाता है, जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। भारत में इन्हें जनजाति अथवा आदिवासी कहा जाता है।

* भू-राजनीति–इसके अन्तर्गत देश की भौगोलिक विशेषताओं का किसी देश की राजनीति व विदेश सम्बन्धों में असर का अध्ययन करते हैं।

शिक्षकों को सुझाये गए क्रियाकलाप

1. छात्रों को समूह में बाँटकर निम्न कार्य सुझाएं–
   * पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पिछले दो दशकों में किये गये उपायों की सूची बनाइए। क्या आप इन उपायों से संतुष्ट हैं? यदि नहीं, तो नए उपाय सुझाइए।

   विभिन्न समूहों के उपायों व सुझावों को एकीकृत करके कक्षा में चर्चा कर सकते हैं।
2. ''आदिवासियों की समस्या के समाधान हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा जुटाइए।'' प्रत्येक छात्र को यह कार्य दिया जा सकता है। जुटा गये ब्यौरों को एकीकृत करके कक्षा में बताया जा सकता है।
3. दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख कीजिए। आप इस सम्बन्ध में कौन-कौन से नए सुझावों को देना चाहेंगे। छात्रों को यमुना सफाई अभियान से सम्बन्धित अखबारों की कतरन व अन्य सामग्रियों के आधार पर फाइल बनाने का कार्य सौंपा जा सकता है।

संवर्द्धित मूल्य

इस अध्याय के अध्ययन से विद्यार्थियों में निम्न मूल्य विकसित हो सकेंगे–

* पर्यावरण के प्रति जागरूकता
* जीवनोपयोगी व महत्त्वपूर्ण संसाधनों जैसे-जल व पैट्रोलियम पदार्थ की महत्ता
* मूलवासियों (आदिवासियों) के प्रति सम्वेदना
* सामूहिक प्रयास का महत्त्व

मूल्यांकन

1. क्योटो प्रोटोकॉल का सम्बन्ध किससे है?
2. वैश्विक ताप वृद्धि में सहायक किन्हीं दो गैसों का नाम लिखिए।
3. 1987 में आयी बर्टलैण्ड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था?
4. टिकाऊ विकास से क्या तात्पर्य है?
5. मूलवासियों की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
6. संसाधनों की भू-राजनीति से क्या तात्पर्य है? किन्हीं दो संसाधनों के उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट कीजिए।
7. ''साझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ'' के सिद्धान्त का उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए।
8. पर्यावरणीय सम्बन्धी किन्हीं तीन चिन्ताओं का वर्णन कीजिए जो वैश्विक राजनीति के मुद्दे बन चुकी हैं।